विषय सूची

		Page No.
1.	निर्देशक मण्डल	63
2.	ए.जी.एम की सूचना	65
3.	शेयरधारियों केलिए अध्यक्ष का पत्र	66
4.	निर्देशक के रिपोर्ट	69
5.	निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	77
6.	वर्ष 2013-14 केलिए विलीय विवरण	85
7.	वर्ष 2013-14 केलिए नकद प्रवाह विवरण	107
8.	लेखा परीक्षक के रिपोर्ट	108
9.	भारत के नियंत्राधिकारी एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	115

पंजीकृत कार्यालय
आठवाँ मंजिल
रेवन्यू टॉवर, पार्क एवेन्यू रोड
कोच्ची - 682011
केरल, भारत
दूरभाष :- +914842350455
फैक्स नं :- +914842360686
www.kochimetro.org

संविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स के.वर्गीस एण्ड कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
बाज़ार सडक
एरणाकुलम

आंतरिक लेखापरीक्षक
मेसर्स जे आर एस एण्ड कं
शासन पत्रित लेखाकार
दूसरा मंजिल, द मोनार्क
पी.टी,उषा रोड, कोच्ची - 682011

कंपनी सचिव
बी. अनिलकुमार

हमारा बैंक
केनरा बैंक
स्टेट बैंक आफ इण्डिया
स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर
इन्डियन बैंक
एचडी एफ सी बैंक लिमिटड
एक्सिस बैंक लिमिटड
आई डी बी आई बैंक लिमिटड
फेडरल बैंक लिमिटड
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटड

निदेशक मण्डल

श्री. शंकर अगरवाल	-	अध्यक्ष, के एम आर एल सचिव, शहरी विकास मंत्रालय कमरा नं.122 सी, निर्माण भवन नई दिल्ली।
श्री. एम. के. सिन्हा	-	संयुक्त सचीव (यू.टी) शहरी विकास मंत्रालय, कमरा नं.138 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
श्री. वी. के. जेन	-	अतिरिक्त सदस्य, रेलवे बोर्ड,रेल मंत्रालय,रेल भवन, नई दिल्ली।
श्री. जितेन्द्र त्यागी	-	निदेशक (सिस्टम), डी एम आर सी लिमिटड, मेट्रो भवन फयर, ब्रिगेड लेन, बाराखम्पा रोड, नई दिल्ली।
श्री. एल. नरसिंम प्रसाद	-	निदेशक सिस्टम प्रक्रियायें चेन्नै मेट्रो रेल लिमिटड, हरिणी टवेर्स, गोपालपुरम, चेन्नै।
श्री. ई. के. भरत भूषण	-	मुख्य सचिव, केरल सरकार, सरकार सचिवालय, तिरुवनन्तपुरम।
श्री. के. एम. एब्रहाम	-	अतिरिक्त मुख्य सचीव, वित्त केरल सरकार, सरकार सचिवालय, तिरुवनन्तपुरम।

श्री. वी.जे. कुरियन	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव जलसंसाधन एम्ड सी एस आइ एन, केरल सरकार, सरकार सचिवालय तिरुवनन्तपुरम।
डॉ.एम.जी राजमाणिकम	-	जिलाधीश, कलेक्टर का कार्यालय, काक्कनाड, एरणाकुलम।
श्री. एलियास जॉर्ज	-	प्रबंध निदेशक, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, आठवाँ मंजिल रेवन्यू टावर, कोच्ची।
श्री महेष कुमार	-	निदेशक (परियोजना), कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, कोच्ची आठवाँ मंजिल, रेवन्यू टवर।
श्री. एब्रहाम उम्मन	-	निदेशक (वित्त) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, आठवाँ मंजिल रेवन्यू टवर, कोच्ची।
श्री वेदमणि तिवारी	-	निदेशक (सिस्टम्स) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, आठवाँ मंजिल रेवन्यू टवर, कोच्ची।

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों केलिए कंपनी के शेयरधारियों के तीसरा वार्षिक आम बैठक रेवन्यू टवर, आठवाँ मंजिल पार्क अवन्यू कोच्ची 682011 के कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में मंगलवार, 30 सितंबर 2014 को दोपहर 12.30 बडे संपन्न होगीः

साधारण कारोबार :

1. वार्षिक लेखों का स्वीकरणः
   31 मार्च 2014 तक समाप्त होनेवाले वर्ष में कंपनी के लाभ और हानि का लेखा, निदेशक मण्डल के रिपोर्ट के साथ अन्य विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट सांविधिक महालेखापरीक्षकों और नियंत्रणाधिकारी और महालेखा परीक्षक के टिरप्पणियाँ आदि प्राप्त करना, स्वीकार करना और उसपर विचार करना।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 केलिए भारत के सांविधिक महालेखा परीक्षक, नियंत्रणाधिकारी और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शासनपत्रित लेखाकार मेसर्स के.वर्गीस एण्ड कंपनी केलिए पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निदेशक मण्डल के आदेश से

बी.अनिलकुमार
कंपनी सचिव

स्थान : कोच्ची
दिनांक : 18/09/2013

टिप्पणीः-

1. बैठक में उपस्थित होने व वोट देने केलिए हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने व वोट देने केलिए एक प्रतिपुरुष को नियुक्त करने का हकदार है और वह प्रतिपुरुष कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है।

2. बैठक के शुरु होने से कम से कम 48 घंटे पहले प्रतिपुरुष द्वारा मोहर व हस्ताक्षर किया हुआ फार्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

शेयरधारियों केलिए अध्यक्ष का पत्र

प्रिय शेयरधारियों,

आप के कंपनी की तीसरी बैठक में आपको स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है. इसके अतिरिक्त हमारी कंपनी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉ.सुधीर कृष्णा के प्रति मैं अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें उचित नेतृत्व दिया था।

मुझे यह सूचना देते हुए खुशी महसूस हो रहा है कि कंपनी की कठिन मेहनत की वजह से कोच्ची मेट्रो योजना प्रगति पथ पर चल रहा है। चुनौतियों के बावजूद भी आपकी कंपनी ने भूमि उपार्जन नियम 1894 के अनुसार मूल्यों का मुआवजा दिया और भूमि उपार्जन में स्पष्टता लायी 2013 के पुनप्रतिष्ठापन और निर्णयन नियम के अनुसार भूमि उपार्जन प्रक्रिया केलिए संधी करने निकला और कंपनी ने पूरे भूमि के 85% जायदाद परियोजना केलिए ले लिया है।

आपकी कंपनी ने उधार देनेवालों के साथ आर्थिक समझैता करके सफलतापूर्वक आर्थिक समापन भी हासिल की। 9 फरवरी 2014 को एजेन्स फ्रांकेस डी डेवेलेपमेंट (फ्रांस के विकास एजेन्सी - AFD) के साथ वित्तीय समझौता स्थापित किया और उसे 20 जुलाई 2014 को केनरा बैंक ने पूरा किया। इन वित्तीय समझौते के द्वारा आपकी कंपनी ने रु 2170 करोड ऋण को संचालित किया।

डी एम आर सी के साथ जो परियोजना निष्पादन का कार्य है, सुचारु रूप से चल रहा है विशेषकर सिविल इंजिनियरिंग काम। परियोजना के कार्यों में 24% शारीरिक कार्य़ पूरा करके विस्तार से आगे बढ़ रहे है।

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रहा है कि परियोजना के सिस्टम की प्रक्रिया प्राप्ति प्रगति पथ पर है और अक्तूबर 2014 तक समाप्त होनेवाले है। अनुकूल कदम उठाने के कारण आप की कंपनी आवश्यकतानुसार चक्र से सज्जित सामग्री पूरे देश में कहीं भी उपलब्ध हो सब से कम मूल्य में प्राप्त हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कंपनी मेट्रो सिस्टम के बाकी घटकतत्व भी बहुत ही उचित मूल्य में प्राप्त करेंगे।

मण्डल द्वारा परियोजना प्रबंधन समिति को स्थापित करता है और परियोजना अभिचालन समिति के एम आर एल और डी एम आर सी के बीच के समझौते के अनुसार स्थापित है, दोनों का अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक है, के एम आर एल लगातार परियोजना की प्रगति पर नज़र रखता है और स्वाभाविक रूप से सामने आनेवाले रुकावटों की संभावनाओं को पार करता है। आपकी कंपनी के मण्डल भी उनके नियतकालिक बैठकों में परियोजना की प्रगति को पुनः जाँचता है।

आपकी कंपनी काम करनेवाले प्रदेश में उच्च स्तर की योग्यता एवं सुरक्षा प्रदान करती है। इन सुविधाओं के अलावा आपकी कंपनी आंतराष्ट्रीय मशहूर जी.बी, अन्तराष्ट्रीय जी एम बी एच जैसे स्वतंत्र सुरक्षित और स्तरीय परामर्शदाता के नेतृत्व में चलनेवाले कंपनियों की नियुक्ति भी की है।

आपकी कंपनी ने कोच्ची मेट्रो निर्माण के वक्त वातावरण पर पडनेवाले प्रभावों को रोकने केलिए बहुत मशहूर और अनुभवी परामर्शदाताओं की नियुक्ति भी की है। परियोजना के विकसित होते समय उत्पन्न होनेवाले पारिस्थितिक दुष्परिणामों को समझने केलिए आपकी कंपनी ने अत्यंत ध्यान से मापदण्ड को तैयार किया है और यह मापदण्ड लगातार परियोजना के कार्य प्रणाली का निरीक्षण करता है। परियोजना द्वारा प्रभावित परिवार के पुनः समझौता और पुनर्निवास केलिए आपकी कंपनी ने एक परामर्शदाता को नियुक्त किया। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपकी कंपनी द्वारा 'बेस्ट इन क्लास' तरीके से पुनः समझौता और पुनःर्निवास का कार्य किया।

आपकी कंपनी यही विश्वास करती है कि कोच्ची मेट्रो परियोजना कोच्ची शहर के संपूर्ण विकास केलिए एक अतुल्य अवसर प्रदान करता है। इन तथ्यों को देखते हुए आपकी कंपनी ने गति पर आधारित विकास योजना (TOP) को रूप दिया जो परियोजना के 500 मीटर के अंदर तेज़ बनाने का प्रयत्न करता है। TOP योजना के कार्यान्वयन कोच्ची को शहरी जीवन के उच्च स्तर पर पहूँचा देता है। यह टहलने, आम परिवहन की स्वीकार्यता आदि को प्रभावित करके कोच्ची के जनता की सामूहिक, आर्थिक और मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। TOP योजना के सफल कार्यान्वयन आपकी कंपनी के भूमि उपार्जन, मूल्य का प्रोत्साहन आदि पर विजय हासिल करके परियोजना की सफलता का कारण बन गया। इसके अतिरिक्त TOP योजना के शक्तिशाली वार्षिक आय आपकी कंपनी के प्रवृत्तियों में वित्त संबंधी बातों को विकसित करने में सहायता दी।

आपकी कंपनी यही विश्वास करता है कि सार्वजनिक परिवहन के सभी प्रकार के समन्वित और समाकलित विकास में कोच्चीवालों की ज़िन्दगी में परिवर्तन लाने की शक्ति है।

केरल सरकीर ने आपकी कंपनी के प्रबंध निदेशक को यु एम टी ए के अध्यक्ष के रूप में लेते हुए शहरी मेट्रोपोलिटन परिवहन अधिकारि (UMTA) को रूप दिया जो इन सभी बातों से अभिज्ञ हैं। राज्य संसद के ध्यान में आने केलिए यु एम टी ए की बैठक के सांविधिक स्तर केलिए, आपकी केपनी ने यु एम टी ए बिल का प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत किया। आपकी कंपनी ने एरनेस्ट & यंग (E&Y) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जो सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन केलिए सामान्य स्मार्ट कार्ड के कार्यान्वयन में नये परिवर्तनों का चयन कर सकें। आपकी कंपनी कोच्ची मेट्रो के संरचनात्मक कार्य एवं वैविध्यपूर्ण नेटवर्क को भी विकसित करने केलिए कई अध्ययनों को शुरु किया।

आपको यह सूचित करते हुए मैं खुश हूँ कि मेट्रो निर्माण के दौरान आपकी कंपनी मेट्रो के गलियारे को विस्तार देने का अनुसंधान भी कर रहा है। आपकी कंपनी ने पहले ही पेट्टा से लेकर एस एन जंक्शन तक जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से इन्फो पार्क तक बढाने की अनुमति दी है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी कंपनी दाँव पर घन रखनेवालों और विस्तृत जन सामान्य के प्रयत्नों के ज़रिए अपने पूरे कामों में पारदर्शिता एवं खुलापन से लक्ष्य तक पहूँचने को प्रेरित करता है। कंपनी उपलब्ध सभी संचार माध्यमों का उपयोग करते है जिसके अंतर्गत सूचना के आदान प्रदान करनेवाले सामूहिक माध्यम और उससे संबंधित सभी माध्यम आ जाते हैं। उचित स्थान पर काम करने से मुझे लगता है कि आपकी कंपनी कोच्ची को नया, पुलकित एवं तेज़ शहर में परिवर्तित करेगी।

अधिकृत लेखा, निदेशक एवं लेखापरीक्षक नियंत्रणाधिकारी और भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ साथ ही शेयरधारियों की सूचना आदि पहले ही आपको भेज चुके है और आप की अनुमति से हम ने औपचारिक रूप से सूचना निकाला है जिसे वार्षिक सामान्य बैठक कहा जाता है।

धन्यवाद

(हस्ताक्षर)

शंकर अगरवाल
अध्यक्ष

निदेशकों के रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

मुझे निदेशक मण्डल की तरफ से आपकी कंपनी के 31 मार्च 2014 तक समाप्त वर्ष की अधिकृत वार्षिक लेखा, संविधित लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट, नियंत्रणाधिकारी और भारत के कंपनी अधिनियम 1956 धारा 619(2) के अंतर्गत महालेखा परीक्षक की टिप्पणी के साथ तीसरा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी महसूस हो रहा है। नज़र डालने पर समझ में आ जाता है कि कोच्ची मेट्रो लिमिटड केलिए यह वर्ष बहुत ही निर्णायक वर्ष है; परियोजना के विभिन्न प्रणालियाँ चालू है और निर्माण कार्य 7 जून 2013 को शुरु हुआ उसके बाद परियोजना के कई कार्य लगातार चल रहा है।

परियोजना संबंधी

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की गालियारे की कुल लम्बाई 22 स्टेशन के साथ 25.612 कि.मी है। गलियारे को चार तरीके से विभाजित किया है जिसमें लम्बी मेहराबों के पुल का निर्माण किया है और स्टेशन kc2, kc3, kc4 ओर kc5 पैकेज के रूप में जाने जाते हैं। कोच्ची मेट्रो के गोदाम मुट्टम में स्थित है। पूरा मेट्रो लंबे मेहरावों का बना हुआ पुल दो बार पुनर्निर्मित सिमेंट पायलिंग के साथ U मुख्य घरनी है। कुछ तख्तों पर जगह का नियंत्रण है। लम्बी मेहराबों के पुल का निर्माण पुनःनिर्मित सिमेंट मुख्यघरनी मेट्रो ट्रैंक्स मानक नाप के है (1435mm) लम्बी मेहराबों के पुल की चौडाई 10.45 मीटर है। गाडी बिना रुकावट के चलाने के उद्देश्य से कम से कम सड़क को 5.5 मी. साफ कर दिया। संकेत चिह्न कम्यूनिकेशन बेसड ट्रेन कंट्रोल (CBTC) के आधार पर है। स्टेशन वृद्ध एवं भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को आराम से पहूँचने लायक बनाता है। प्लाटफोम की लंबाई ए.तीन कोच रेल को जगह देने लायक 71 मी से 81 मी तक का है।

परियोजना की स्थिति

जो जगह प्राप्त है उस स्थान पर काम प्रगति पथ पर है। वास्तव में करार और क्षतिपूर्ति दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ही करते है। सिमेंट काम की प्रगति निम्न प्रकार स्पष्ट है :-

कार्य	KC 2	KC 3	KC 4	KC 5
पायलस	80.94%	75.06%	65.82%	19.32%
पायल कैप्स	58.45%	52.34%	30.00%	2.00%
पियेर्स	40.11%	46.56%	24.58%	-
पियरकैंप्स	30.48%	28.05%	29.73%	-
U मुख्यधरनी कास्टिंग	14.10%	17.80%	26.79%	-
U मुख्यधरनी इरेक्शन	42 नंबर मुख्यधरनी की स्थापना की उत्तरोत्तर			
बढनेवाला प्रगति	32.62%	30.43%	25.16%	3.44%

धरती उपार्जन की स्थिति

परियोजना केलिए 40.409 हेक्टर भूमि की ज़रूरत है इसके अतिरिक्त फैलाने केलिए 34.5289 हेक्टर अधिकृत क्षेत्र संपत्ति भी ले लिया है। धरती उपार्जन की प्रक्रिया तो चालू है बाकी जो धरती है उस पर जिला प्रशासन द्वारा मोल समझौते पर लाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। साथ ही धरती उपार्जन का काम भारत सरकार के धरती उपार्जन आधिनियम 1894 के अधीन में तेज़ी से चल रहा था, भारत सरकार क्षतिपूर्ति का मूल्य, धरती उपार्जन की स्पष्टता, पुनप्रतिष्ठापन और पुननिर्णयन अधिनियम 2013 के अनुकूल प्रचारित किया, राज्य के कुछ नियमों के कारण ही धरती उपार्जन में थोडी देरी आ रही है। इसको सुलझाने केलिए केरल सरकार से जिलाधीश द्वारा सीधे धरती खरीदने की अनुमति प्राप्त करता है।

तकनीकी की जटिलता और सिस्टम संविदा की स्थिति

इस वर्ष में आपकी कंपनी डी एम आर सी के साथ मिलकर लगातार माल, सूचना चिह्न दूर संचार, संकर्षण बिजली और अन्य विद्युत एवं मेकानिकल पद्धति को उपलब्ध करने में व्यस्त थे। कोच्ची मेट्रो परियोजना केलिए जो पद्धति चुना है वह सबसे श्रेष्ठ एवं स्तरीय है और वह आपकी कंपनी को कोच्ची शहर के विश्वस्तरीय मेट्रो पद्धति के रूप में स्थान हासिल करने की मदद करते है।

पद्धति के सभी घटकों की उपलब्धी अंतिम पडाव पर पहूँच चुका है और 2014 सितंबर तक समाज होने की संभावना भी है। आपकी कंपनी ने सभी पद्धति निविदाओं के स्पष्ट एवं नीलामी बोली को प्रोत्साहित किया जिसके फलस्वरूप सब से अनुकूल मूल्य एवं योग्यता की प्राप्ति हुई । आपकी कंपनी को एक पारिस्थितिक जीवन केलिए योग्य मेट्रो पद्धति को प्रदान करने का दायित्व सौंपा है। इनके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने ऊर्जा प्रदान करनेवाले सिस्टम का चयन किया जो ऊर्जा के उपयोग कम करने में सहायता करेगा और कोच्ची के शहर के कार्बन पाद चिह्न कम करने में मदद करेगी।

मार्ग (ट्रेसिट) उन्मुख विकास योजना (टी.ओ.पी)

मार्ग (ट्रोसिट) उन्मुख विकास योजना (टी ओ पी) मार्ग उन्मुख विकास उच्च गुणवत्ता से युक्त वातावरण के साथ मेट्रो गलियारे के निकट घनत्व केलिए एक व्यवस्था है। टी ओ डी योजना सभी वर्गों में विभिन्न आय़ वर्ग केलिए मार्ग नेटवर्क की बढ़ती उपयोग केलिए शहरी रिक्त स्थान केलिए एक व्यापक रूपरेखा की परिकल्पना, बढी हुई चलना और साईकल चलाने के माध्यम से लोगों को मार्ग को करीब सक्षम रहने और काम करने केलिए किया गया है, यह विकास के शासित सिद्धांत को बना रहा है। आपकी कंपनी मेट्रो गलियारे के साथ टी ओ डी सिद्धांतों की प्रयोज्यता की पता लगाने और मेट्रो मार्ग उन्मुख कॉरिडोर पर मेट्रो बुनियादि ढांचे की वजह से उपार्जित मूल्य संवर्धन लाभ से राजस्व की धाराओं की पहचान करने केलिए टी ओ डी अध्ययन की मान्यता प्रप्त किया गया है। अंत में अर्बन मास ट्रेन्सिट कंपनी (युएम टी सी) के सहयोग से नेशनल ट्रान्स्पोर्टेशन प्लानिंग एंड रिसर्च सेंटर को (एनएटीपी एसी)

कोच्ची मेट्रो केलिए एक टीओडी योजना विकसित करने केलिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सलाहकार टीओडी योजना के सामयिक राजस्व आकलन और कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत कर दिया है।

116041 की वर्तमान जनसंख्या से 2034 में 672656 तक बढाने केलिए मेट्रो गलियारे केलिए विकसित सामचिक टी ओ डी योजना मेट्रो गलियारे के साथ धनत्व की परिकल्पना करते है। यह क्रियान्वित करने की योजना है अधि सूचित टी ओ डी के भीतर लागू विनियमन संशोधन करके उच्च तल क्षेत्र अनुपात (एएफ ए आर) मिश्रित भूमि उपयोग, एकीकृत संडक नेटवर्क, बढ़ाया पैदल यात्रियों की सुविधाएँ और बेहतर मल्टी माँडल एकीकरण आदि कर रहे है। टी ओ डी योजना विभिन्न अधिकारियों और वकील के बीच नियमित बातचीत के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू करने केलिए प्रस्तावित है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन सामाजिक प्रभाव आकल पुनर्वास और पुनरुद्धार अध्ययन

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के कारण पर्यावरण प्रभाव जैसे सामाजिक प्रभाव और पुनर्वास और पुनस्थापन को आकलन करने केलिए किये अध्ययन को मन्यता प्राप्त किया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ इ एफ) की हर दिशा (ई आई ए) अध्ययन मेट्रो वाक्यों केलिए अवश्यक नहीं है। तथापि 180 मिलियन युगों की लंबी अवधि के ऋण केलिए एजेंस फ्रांसेसे डे डेवेलेप्मेंट (ए एफ डी) बाह्य वित्त पोषण एजेंसी, के मंजूरी शर्तों में से एक है इस अध्ययन को मान्यता प्राप्त दिया है। इ.आई एं अध्ययन में माध्यमिक डेटा के संग्रह आधारभूत सवैक्षण और जनगणना का आयोजन पर्यावरण क्षेत्र सर्वेक्षण, पर्यावरण प्रभाव पहचान, पर्य़ावरण प्रभाव इकाई (ई अई यू) मात्रा का ठहराव मेट्रो परिदृश्य के पूर्व और बाद में, प्रभावों को काम करने केलिए शमन उपायों का निर्माण, ई आईए रिपोर्ट की तैयारी, ई आई ए केलिए सार्वजनिक परामर्श बैठकों का आयोजन ई आई ए अध्ययन का कार्यान्वयन और ई आई ए रिपोर्ट की जानकारी प्रकटीकरण आदि शामिल है।

सामाजिक प्रभाव आकलन (एस आई ए) अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, परियोजना प्रभावित लोगों (पी ए पी) के एक सर्वेक्षण का संचालन, कोच्ची मेट्रो केलिए एक आरएंड आर नीती ढाँचा तैयार करना और आर एंड आर कार्य योजना तैयार करना आदि है। यह दोनों का अध्ययन अंतिम चरण में पहूँच गया है। आर एंड आर पैकेज आर एफ सीटी एल ए आर ए में प्रदान हकों के आधार पर प्रभावित परिवारों के लिए लगभग 25.5 करोड रुपये होने का अनुमान है जिसमें 595 परिवारों के कुल का सर्वेक्षण किया गया है।

संपत्ति के विकास की पहल की स्थिति

कोच्चि मेट्रो परियोजना के लिए मंजूरी दे दी वित्तपोषण योजना संपत्ति विकास से आय की रास्ते से 98 करोड रुपये की लामबंदी की विचार कर रहे है। यह भी एक स्थापित तथ्य है कि बहुत कुछ मेट्रो नेटवर्क, विश्व स्तर पर, ऋण़ चुकाने और परिचालन व्यय

के प्रति उनके वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के नजरिए से व्यवहार्थ है। एम टी आर होंगकोंग जैसे कुछ मेट्रो कंपनियाँ अपने आकर्षक संपत्ति किराये से निकलती नकदी प्रवाह से बाहर उनके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है।

कोच्ची मेट्रो, केरल के राज्य में अपनी तरह के पहली शहरी परिवहन परियोजना होते जा रहे है। जिसको अन्य उचित संग्रह के अलावा अन्य राजस्व स्त्रोतों से भी बैंकिंग का काम लेना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी कंपनी आर्थिक रूप से व्यावहारिक पार्सल भूमि आवंटित करने केलिए केरल सरकार से संपर्क किया है जो अतिरिक्त पूंजी और आवती राजस्व उत्पन्न करने केलिए अपने बाजार की क्षमता का लाभ उठाने केलिए विकसित करने में सक्षम है। केरल सरकार के एम आर एल को काक्कनाड में 17.315 एकड सरकार भूमि पट्टा देने केलिए सहमत हो गया है। पार्सल भूमि की वाणिज्यिक लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रभावित अंतर्निहितबाजार की उम्मीदों और बाधाओं आकलन की दृष्टि से आपकी कंपनी 17 जून 2014 को एक निवेदकों का सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन के दौरान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, आपकी केपनी काक्कनाड के पार्सल भूमि का इष्टतम मुद्रीकरण के उद्देश्य से जा-को-बाजार सलाहकार केलिए एक परामर्श कंपनी (फंड) तैयार करने की प्रक्रिया में है।

परियोजना के निधीकरण और वित्तीय पर प्रकाश

शेयर पूंजी और अधीनस्थ ऋण

आपकी केपनी वर्ष के दौरान इक्विटी की ओर से 334 करोड रुपये(पिछले साल 127.8 करोड रुपये) प्राप्त किया है। इसमें, 100 करोड रुपये की राशी (पिछले साल 22.8 करोड) भारत सरकार से और 234 करोड रुपये की राशी (पिछले साल105 करोड रुपये) केरल सरकार से प्राप्त किया था। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कुल 215 करोड रुपये की शेयर पूंजी और आवंटन लंबित शेयर अवेदन के पैसे 249.30 करोड है। इसके अलावा, भारत सरकार ने केंद्रीय करों की ओर ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में 25 करोड रुपये (पिछले साल शुन्य) प्रदान किया है। 31 मार्च 2014 तक दोनों सरकारों से प्राप्त कुल अधीनस्थ ऋण 234.25 करोड (पिछले साल209.23 करोड रुपये तक) है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, परियोजना वित्तीय समापन को हासिल की है। कंपनी ने आने-देने सहायता (पीटीए) के रूप में 170 मिलियन यूरो का एक बाह्य उधार केलिए एजेंस फ्रासैस से डिवलेप्मेंट (एएफडी) के साथ हस्ताक्षर किये थे। कैनरा बैंक के दौरान परियोजना केलिए 1170 करोड रुपये लंबी अवधि के ऋण के रूप में मंजूरी दी थी। केनरा बैंक के साथ ऋण समझौता 20 जुलाई 2014 में हुआ है। कंपनी की 2013-14 वित्तीय वर्ष तक रु 16.29 और 45.13 के आस पास तक प्रस्तावित इक्विटि फंडिग शेयर क्रमशः भारत सरकार और केरल सरकार से प्राप्त हुआ है।

कुल आय, लघु अवधि के जमा पर ब्याज से मिलकर 6.37 करोड रुपये और कुल व्यय है, पूर्व अवधि समायोजन 10.27 करोड रुपये है, कर पूर्व 3.90 करोड रुपये शुद्ध घाटा छोडने के है। वर्तमान और डिफेड कर प्रदान करने के बाद शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2013-2014 केलिए 2.70 करोड रुपये है।

केरल मोनो रेल निगां केलिए प्रधान सलाहकार

आपकी कंपनी संगठन के भीतर क्षमता विकास पर विशेष बल देती है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी केरल मोनोरेल निगां लिमिटेड (केएम सी एल) से एक परामर्श अनुबंध हासिल की गयी है। आपकी कंपनी तिरुवनन्तपुरम और कोषिक्कोड के शहरों में मोनेरेल परियोजनायें शुरु करने केलिए मदद देगी।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी की उच्च क्षमता की स्वीकार्यता संगठन की आवश्यकता के अनुसार सही नौकरियों पर योग्य जनशक्ति की कुशल नैतानी आदि दिखाने लायक है। इस रिपोर्ट की तारीख को कंपनी की जनशक्ति स्थिति 122 स्वीकृत संख्या के मुकाबले में 73 पर खडा है।

व्यक्तिगत के साथ-साथ संगठनात्मक लक्ष्यों को साकार करने केलिए पर्याप्त अवसर में विकास केलिए अपने सामर्थ्यों को पूरी तरह काम में लेना चाहिए, आप की कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों और कौशल उन्नयन पर ध्यान देकर कौशल और ज्ञान के हस्तांतरण और विशेष/उन्नत कौशल के प्रशिक्षण देकर निरंतर प्रयास कर रहे है। एक प्रभावी चुनौतियों को ले जाने केलिए और नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की निर्वहन करने केलिए भविष्य केलिए कर्मचारियों की तैयारी करना हमेशा एक प्रमुख जोर है। चौबीस कर्मचारियों को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्य़क्रमों केलिए भेजा गया है। संगठन में साथ साझा ज्ञान के उद्देश्य से, के एल ए एस एस (के एम आर एल लेनिंग और साझा सत्र) लगभग हर सप्ताह आयोजित कर रहे है। आपकी कंपनी साकारात्मक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध बनाने के प्रति पहल पालन पोषण, पेशेवर काम वातावरण उपलब्ध करने के माध्यम से करा रहे है। आपकी कंपनी के बोर्ड मामलों की समीक्षा करने केलिए एक जनादेश के साथ मानव संसाधन नीतीयों में सिफारिश करने मेनुअल, परिश्रमण गतिविधियों, श्रम कानून के और अनुपालन और आकस्मिक मामलों के सिवा एक मानव संसाधन विकास समिति का गठन किया गया है। कर्मचारियों की परिवर्तित ज़रूरतों और कल्याण को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान नीतियों और नियमों को लागू किया है।

वर्ष के दौरान रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 1956 को धारा 217 (2ए) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक परिश्रमिक कोई भी कर्मचारी नहीं ले रहे है।

निदेशक के कर्तव्य संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 1956, धारा 217(2AA) के तहत आपकी कंपनी निदेशक इससे पुष्ट करते है -

i) 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष केलिए वार्षिक लेखे की तैयारी में जहाँ कहीं आवश्यक हो, आर्थिक अंतर से संबंधित सही स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है, उन्हें अनुकूल ढंग से प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लिया है जो संगत और विवेकपूर्ण हो ताकि वित्तीय वर्ष की अंत तक कंपनी की स्थिति 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी के लाभ और हानि का सही एवं स्पष्ट तस्वीर दें।

iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और फरेब व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचानने केलिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव केलिए सही और पर्याप्त ध्यान रखा है।

iv) निदेशकों ने चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया था।

चूंकी रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने किसी शेयरों को वापस नहीं लिया है। कंपनी अधिनियम 1956, धारा 217 (2बी) से संबंधित सूचना कंपनी केलिए लागू नहीं है।

निदेशक

कंपनी के 13 निदेशक हैं जिनमें से 5 केंद्र सरकार द्वार नामित व्यक्ति है और तीन पूर्णकालिक कार्यपरक निदेशक सहित 5 राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति है। बोर्ड का अध्यक्ष संघ सरकार द्वारा नामित हैं और प्रबंध निदेशक केरल सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हैं। निदेशक मण्डल के वर्तमान ढाँचा निम्न है :-

1.	श्री. शंकर अगरवाल	-	अध्यक्ष
2.	श्री. एम.के सिन्हा	-	निदेशक
3.	श्री. वी.के जेन	-	"
4.	श्री. जितेन्द्र त्यागी	-	"
5.	श्री. एल. नरसिंह प्रसाद	-	"
6.	श्री. इ.के.भरत भूषण	-	"
7.	डॉ.के.एम. एब्रहाम	-	"

8.	श्री. वी.जे. कुरियन	-	निदेशक
9.	डॉ.एम.जी.राजमणिक्यम	-	"
10.	श्री. एलियास जोर्ज	-	प्रबंध निदेशक
11.	श्री. महेष कुमार	-	निदेशक (परियोजना)
12.	श्री. एब्रहाम उम्मन	-	निदेशक (वित्त)
13.	श्री. वेदमणी तिवारी	-	निदेशक (सिस्टम)

दोनों सरकार द्वारा प्राप्त नामांकनों / दी गई नियुक्तियों के आधार पर पिछले वार्षिक आम बैठक के बाद निम्नलिखित निदेशकों को भी शामिल किया गया है :-

1. श्री. एम.के. सिन्हा, नियुक्त मनोनीत निदेशक, भारत सरकार
2. श्री. जितेन्द्र त्यागी, मनोनीत निदेशक, भारत सरकार
3. श्री. एल,नरसिंह प्रसाद, मनोनीत निदेशक, भारत सरकार
4. श्री. वी. सोमसुंदरन, मनोनीत निदेशक, केरल सरकार
5. डॉ.एम.जी. राजमाणिक्यम, मनोनीत निदेशक, केरल सरकार
6. श्री. वी.के जेन, मनोनीत निदेशक, भारत सरकार
7. डॉ. के.एम. एब्रहाम, मनोनीत निदेशक, केरल सरकार

सराहना टिप्पणी

बोर्ड निदेशकों द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सेवाओं तथा डॉ.सुधीर कृष्णा, अध्यक्ष से प्राप्त बहुमूल्य एवं अनुभवी उपदेशों को दर्ज करता है जो अपने कार्य़ालय से पदत्याग देकर एम ओ युडी के सचिव के रूप में कार्य करता है। पुननिरीक्षण के तहत निम्नलिखित निदेशक का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त हुआ है।

1. डॉ.वी.पी. जोय (11.09.2013 तक)
2. श्री. सी.के खोत्तान (23.12.2014 तक)
3. श्री. एस.डी. शर्मा (11.02.2014 तक)
4. श्री. शेख परीत (28.02.2014 तक)
5. श्री. डी.डी. पहूजा (31.03.2014 तक)
6. श्री. सुधीर मितल (16.09.2014 तक)
7. श्री. वी. सोमसुंदरन (16.09.2014 तक)

कंपनी के संविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रणाधिकारी और महालेखा परीक्षक द्वारा के.वर्गीस & कंपनी, शासनपत्रित लेखाकार, एरणाकुलम को कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और वे अगली वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक कार्यरत रहेंगे।

शेयर पूँजी

आपकी कंपनी का प्राधिकृत शेयर पूँजी रु 2000 करोड बना रहा और 31 मार्च 2014 तक भुगतान किए गए शेयर पूँजी रु 215 करोड है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विदेशी मुद्रा विनिमय

आपकी कंपनी उद्योग की उस सूची में नीचे नहीं आएगी जिन्हें ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि केलिए लिए गए कदमों के बारे में अनिवार्य रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। वैसे ऊर्जा दक्षता पर ज़ोर देते हुए सिविल अभियंत्रिक संरचनाओं तथा सिस्टम संघटकों के निर्माण के नूतन प्रौद्योगिकी को अपनाने का सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विदेश यात्रा केलिए रु 8.19 लाख के समान विदेशी मुद्रा विनिमय का आगमन और निगमन नहीं हुआ है।

आभारोक्ति

केंद्रीय / राज्य सरकार व स्थानीय निकाय प्राधिकृत लेखापरीक्षकों, वाणिज्यिक बैंक सहित वित्तीय संस्थान, कैनरा बैंक, दिल्ली मेट्रो लिमिटेड, कंपनी के विक्रेता व सलाहकार, दोनों प्रिन्ट एवं विष्वल मीडिया, उपभोक्ता तथा कंपनी के कार्यों से संबंधित अन्य सभी द्वारा दी गई सहायता केलिए आपके निदेशक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते है। बोर्ड भी कंपनी के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा दिल से दी गई सहायता केलिए हार्दिक रूप से कृतज्ञता दर्ज करते हैं।

निदेशक मण्डल की ओर से

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष

स्थान : कोच्ची
तारीक : 16.09.2014

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के एम आर एल के निगमित अभिशासन पोलिसी कोच्ची शहर केलिए सुतार्यता, लेखादेयता और स्पष्ट लेन देन के मानक तथा सुरक्षित, विश्वसनीय, कुशल व्यवहार्य और उपभोक्ता केलिए अनुकूल मेट्रो प्रणाली सुनिश्चित करते हुए दोषरहित निगमित अभिशासन कार्यों के पालन के दर्शनशास्त्र से विकसित है। के एम आर एल उच्च स्तर के नीतिपरक, ईमानदारी को महत्व और काम चलानेवाले अखाडे पर विश्वास आदि प्रेरणा देनेवाली क्रिया पर ज़ोर देते है।

के एम आर एल के प्रक्रियाओं का सीवीसी मार्गरेखाएं, कंपनी के संयुक्त नियम (AOA), कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान मानक लागू लेखाकरण, सी एन्ड ए जी जैसे प्राधिकृत द्वारा निर्धारित नियमन, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तथा उसके अधीन बताए नियम के प्रावधानों का भी अनुसार होता है। इसके साथ साथ सभी अनुयोज्य कानून संगठन के कार्यक्रमों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिस्थिति,कर्मचारियों का कल्याण, ठेके दार, मूल्यों की क्षतिपूर्ति , परियोजना से प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों के पुनः प्रतिष्ठापन एवं नियमन आदि की भी देखभाल कंपनी करती है।

1. निदेशक मण्डल

(क) निदेशक मण्डल के गठन

कंपनी के ए ओ ए के अनुच्छेद 116 के अनुसार मण्डल में कम से कम तीन निदेशक और अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं। 13 महान व्यक्तियों के सान्निध्य में बोर्ड में प्रशासनिक एवं कई दायित्वों का पालन करते है, के एम आर एल बोर्ड में कंपनी द्वारा 3 कार्यपरक निदेशकों को नियुक्त किया, जी ओ एल और जी ओ के दोनों बराबरी से 10 निदेशकों को जी ओ एल द्वारा अध्यक्ष और जी ओ के द्वारा प्रबन्ध निदेशक को भी मनोनीत कर दिया।

रिपोर्टाधीन तारीख तक निम्नलिखित व्यक्तियों के साथ निदेशक मण्डल का गठन किया गया:-

1.	श्री. शंकर अगरवाल	-	अध्यक्ष
2.	श्री. एम.के सिन्हा	-	निदेशक
3.	श्री. वी.के जेन	-	"
4.	श्री. जितेन्द्र त्यागी	-	"
5.	श्री. एल.नरसिंह प्रसाद	-	"
6.	श्री. ई.के भरतभूषण	-	"

7. डॉ. के.एम. एब्रहाम	-	निदेशक
8. श्री. वी.जे. कुर्यन	-	"
9. श्री. एम.जी. राजमाणिक्यम	-	"
10. श्री. एलियास जोर्ज	-	प्रबंध निदेशक
11. श्री. महेश कुमार	-	निदेशक (परियोजना)
12. श्री.एब्रहाम उम्मन	-	निदेशक (वित्त)
13. श्री. वेदमणी तिवारी	-	निदेशक (सिस्टम्स)

के एम आर एल बोर्ड संयुक्त संस्था के मूल्य एवं उनके कर्ममंडल को सहायता करता है। शेयर धारियों की संतृप्ति, एवं उद्देश्यों की पूर्ति करने में, कंपनी को सही दिशा में परिचालित करने में रास्ता दिखाता है और कंपनी को उचित प्रतिनिधि मंडल प्रत्यायोजन के ज़रिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने की प्रेरणा देता है। कंपनी के निष्पादन के आलोचनात्मक मूल्यांकन और पुनरीक्षा। तथा प्रबंध के निर्णयों के कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने केलिए नियमित रूप से बोर्ड के बैठक का आयोजन होता है। कंपनी ने बोर्ड और उसके उपसमितियों की बैठकों के आयोजन केलिए एक क्रियाविधी को नीचे दिए विवरण के अनुसार सुप्रवाही बनाया है :-

(a) बोर्ड / समिती बैठकों केलिए कार्यसूची मदों के निर्धारण व चयन :

i) बोर्ड अध्यक्ष के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उचित सूचना देते हुए बैठकों का आयोजन होता है। किसी विशेष व तुरंत आवश्यकता होने पर बैठकें अल्पकालीन सूचना से भी बुलाई जाती है। बोर्ड परिचालन द्वारा संकल्प भी प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों केलिए जो अत्यंत आवश्यक है और जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत्य हो

ii) कार्यसूची कागज़ों को विभाग के प्रमुखों द्वारा तैयार किया जाता है और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किया जाता है। बैठक में सार्थक, ज्ञानयुक्त तथा केंद्रित चर्चा केलिए सदस्यों के बीच विधिवत अनुमोदित विस्तृत कार्यसूची टिप्पणियाँ, प्रबंधन रिपोर्ट तथा विशद पूर्व सूचना सहित अन्य व्याखात्मक विवरण को पहले ही परिचालित किया जाना चाहिए।

iii) विशेष और असाधारण संदर्भों में अतिरिक्त या अनुपूरक मदें, जो कार्यसूची में नहीं है, को अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा केलिए उठाई जाती है।

iv) जब कभी आवश्यक हो बोर्ड को अनुमोदन लिए गए प्रमुख घटनाएँ / मदों को भी सूचित किया जाता है। बोर्ड के बैठक में प्रबंध निदेशक बोर्ड को कंपनी की सार्वभौम निष्पादन से अवगत करता है।

v) पिछले बैठकों में बोर्ड के निर्देशों पर ली गई कार्रवाइयों की स्थिति की एक पुनरीक्षा भी कार्यसूची का भाग बनती है।

vi) बोर्ड के सदस्य कंपनी के सभी प्रकार की सूचना के बारे में जानते हैं।

vii) बोर्ड के बैठक अनुयोज्य सांविधिक स्तर के अनुसारही आयोजित करते है।

(b) प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षेपण:

बोर्ड के प्रत्येक बैठक की शुरुआत में प्रबंध निदेशक विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना की स्थिति तथा कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ विकास सहित मुख्य गतिविधियों के बारे में बोर्ड सदस्यों को संक्षिप्त विवरण देता है।

(c) बोर्ड के बैठक में कार्रवाई के कार्य़वृत्तों का लिखित ब्यौरा:

हर बोर्ड के बैठक के कार्रवाइयों के कार्यवृत्त को रिकोर्ड किया जाता है और कार्य़वृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। बोर्ड बैठक के कार्यवृत्तों को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद पुष्टि केलिए अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। उपसमितियों की बैठकों के कार्य़वृत्त बोर्ड को उसकी सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

(d) अनुपालन:

विभागाध्यक्ष कार्य़सूची टिप्पणियाँ तैयार करते समय कंपनी अधिनियम 2013, ए ओ ए तथा सी वीसी मार्गरेखाओं के प्रावधानों में निहित सभी प्रयोज्य सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

कंपनी के कर्मचारी उनपर सौंपे गए उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों को मुक्त करने के साथ साथ कंपनी द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत सिद्धांतों को प्रेरणा देता है। वे हमेशा उच्च नैतिक मूल्यों को बनाकर रखते है और संयुक्त संस्था के कार्य़प्रणाली केलिए सहायता करते है, प्रबंधक की तरफ से जो अनुयोज्य और सामयिक मार्ग निर्देश मिलता है जो उनको श्रेष्ठ अभ्यास करने की मदद देता है।

2. शेयरधारियों की बैठक

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ज़रूरत के अनुसार कंपनी के भुगतान कर चुके पूंजी तथा मुक्त आरक्षितों के अतिरिक्त धन लेने हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने केलिए और कंपनी द्वारा लिए जानेवाले उधार सुविधाओं केलिए एक जमानत तैयार करने केलिए भी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 30 मई 2013 को शेयरधारियों का एक असाधरण आम बैठक आयोजित की गई है। शेयरधारियों का दूसरा वार्षिक आम बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 26 सितंबर 2013 को चलाई गई।

3. कंपनी को हानिकारक प्रबंधक पोलिसी

कंपनी के हानिकारक प्रबंधक पोलिसी आंतरिक नियंत्रक परिमाणों को बनाके रखते है और अनुसरण भी करते है जो लेखा परीक्षकों की बैठकों द्वारा लगातार पुनरीक्षण किया है। कंपनी द्वारा नियुक्त आंतरिक लेखा परीक्षक हर तीन महीने में लेखा परीक्षा का आयोजन करता है, उनके प्रतिवेदन लेखा परीक्षा बैठक द्वारा देखा जाता है और जहाँ सुधार की ज़रूरत है अनुयोज्य कार्रवाई भी करता है। एक लाख और उससे ज्यादा भुगतान का पूर्व लेखा परीक्षा कंपनी के हानी को कम करने की रीति है। परियोजना के विकास के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी संबंधी हानी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक परामर्शदाता को रखा है जो परियोजना के कार्यों को ध्यान में रखते हुए योग्यता, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में होनेवाली हानि को कम करता है। साथ ही जायदाद को कंपनी बीमा सुरक्षा भी प्रदान करता है।

4. बोर्ड की बैठकें

बोर्ड ने सात उप बैठकों को रूप दिया जो कंपनी के प्रक्रिय के समान आकार एवं प्रकृति का है। वे है - लेखा परीक्षा बैठक, मानव संसाधन बैठक, प्रक्रिया और मरम्मत बैठक, परियोजना प्रबंधन बैठक, निवेश बैठक, उपलब्धी बैठक और संपत्ति विकास बैठक आदि। बोर्ड की अनुमति द्वारा प्रत्येक बैठक स्पष्ट रूप से संदर्भ की सीमा को व्यक्त करता है। समय समय पर आवश्यकतानुसार बैठकों का आयोजन किया जाता है।

(अ) लेखा परीक्षा के बैठक :

कंपनी के लेखा परीक्षा के गठन निम्नलिखित है :

1. डॉ.के.एम. एब्रहाम	-	अध्यक्ष
2. श्री. एम.के. सिन्हा	-	सदस्य
3. डॉ.एम.जी. राजमाणिक्यम	-	"
4. श्री. वेदमणी तिवारी	-	सदस्य
5. श्री. एल. नरसिंह प्रसाद	-	"

इस वर्ष के दौरान बैठक तीन बार संपन्न हुई जैसे 21.05.2013, 24.08.2013 और 27.12.2013। इसके अलावा लेखा परीक्षा के बैठक वर्तमान वर्ष में 22.04.2014 और 30.07.2014 में दो बैठक चलाई गई। निदेशक, कंपनी के वित्त आंतरिक लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षकों को बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया।

(आ) परियोजना प्रबंधन बैठकः

कंपनी के परियोजना प्रबंधन बैठक के गठन निम्न प्रकार है :

1.	श्री. एलियास जोर्ज	-	अध्यक्ष
2.	श्री. एम. के सिन्हा	-	सदस्य
3.	श्री. जितेन्द्र त्यागी	-	"
4.	श्री. महेश कुमार	-	"
5.	श्री. एब्रहाम उम्मन	-	"
6.	श्री. वेदमणी तिवारी	-	"

बैठक तीन बार संपन्न हुई 3.01.2014, 14.03.2014 और 10.07.2014

(इ) निवेश बैठक :

कंपनी के निवेश बैठक का गठन निम्न प्रकार है;

1.	श्री. एलियास जोर्ज	-	अध्यक्ष
2.	डॉ.के.एम. एब्रहाम	-	सदस्य
3.	श्री. वी.जे. कुरियन	-	"
4.	श्री. जितेन्द्र त्यागी	-	"
5.	श्री. एब्रहाम उम्मन	-	"
6.	श्री. वेदमणी तिवारी	-	सदस्य

निवेश बैठक दिनांक 24.04.2014 को एक बार बुलाई गयी।

(ई) उपलब्धी बैठकः

कंपनी के उपलब्धी बैठक का गठन निम्न प्रकार है :

1.	श्री. एलियास जोर्ज	-	अध्यक्ष
2.	श्री. जितेन्द्र त्यागी	-	सदस्य
3.	श्री. एब्रहाम उम्मन	-	"
4.	श्री. महेश कुमार	-	"
5.	श्री. वेदमणी तिवारी	-	"

उपलब्धी बैठक दिनांक 14.03.2014 को एक बार संपन्न हुई।

(उ) प्रक्रिया और मरमत बैठक

कंपनी के प्रक्रिया और मरम्मत बैठक का गठन निम्न प्रकार है :

1. श्री. एसियास जोर्ज - अध्यक्ष
2. डॉ. के.एम. एब्रहाम - सदस्य
3. श्री. एल.नरसिंह प्रसाद - "
4. श्री. वेदमणी तिवारी - "
5. श्री. एब्रहाम उम्मन - "
6. श्री. महेशकुमार - "

(ऊ) संपत्ति विकास बैठक :

कंपनी के संपत्ति विकास बैठक का गठन निम्न प्रकार है :-

1. श्री. एलियास जोर्ज - अध्यक्ष
2. श्री.वी.जे कुरियन - सदस्य
3. डॉ. एम.जी राजमणिक्यम - सदस्य
4. श्री.एब्रहाम उम्मन - "
5. श्री. महेस कुमार - "
6. श्री.वेदमणी तिवारी - "

(ऋ) मानव संसाधन विकास बैठक

कंपनी के मानव संसाधन विकास बैठक का गठन निम्न प्रकार है :

1. श्री. एलियास जोर्ज - अध्यक्ष
2. श्री. वी.के जेन - सदस्य
3. श्री. वी.जे कुरियन - "
4. श्री. महेश कुमार - "
5. श्री. वेदमणी तिवारी - "

5. बोर्ड की बैठक

वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2014 के अन्दर छः बार बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। इस कार्यकाल में हुई बैठकों में कंपनी के पूर्व निदेशक एवं कार्यरत निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम.सं	नाम	अपने निदेशक पद के कार्यकाल दौरान 2013-14 में आयोजित बैठक संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	डॉ. सुधीर कृष्णा	6	6
2.	श्री. सी.के. खेतान	5	4
3.	श्री. डी.डी.पहूजा	6	6
4.	श्री. वी.पी.जॉय	4	4
5.	श्री. शेख परीद	6	4
6.	श्री. एस.डी. शर्मा	5	4
7.	श्री. ई.के.भरतभूषण	5	4
8.	श्री. वी. सोमसुंदरन	2	नहीं
9.	श्री. एलियास जोर्ज	6	6
10.	श्री. एम.के.सिन्हा	1	1
11.	श्री. वी.जे.कुरियन	6	4
12.	श्री. सुधीर मितल	5	4
13.	श्री. जितेन्द्र त्यागी	नहीं	नहीं
14.	डॉ. एम.जी.राजमाणिक्यम	नहीं	नहीं
15.	श्री. एल.नरसिंह प्रसाद	नहीं	नहीं
16.	श्री. महेश कुमार	6	6
17.	श्री. एब्रहाम उम्मन	6	6
18.	श्री. वेदमणी तिवारी	5	5
19.	श्री. शंकर अगरवाल	नहीं	नहीं

6. प्रकटीकरण

(क) भौतिक रूप से महत्वपूर्ण किसी पार्टी से कोई सौदा अर्थात उनके समर्थकों, निदेशकों या प्रबंध, नियंत्रित व्यक्तियों या बन्धुजनों आदि के साथ भौतिक प्रकृति की कंपनी के सौदे नगहीं हुए हैं क्योंकि उससे व्यापक तौर पर कंपनी के हित के साथ काफी हद तक मतभेद हो सकता है।

(ख) कंपनी द्वारा किसी सांविधिक अनुपालन के मामले या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के खिलाफ किसी जुर्माना लगाने या कटु आलोचना करने की कोई घटना नहीं हुई है।

(ग) लेखों की पुस्तकों पर ऐसा कोई व्यय खर्च के मद नहीं है जो कंपनी के कार्य़व्यापार संबंधी नहीं है।

7. कंपनी के वेबसाइट :

कंपनी का वेबसाइट www.kochimetrorail.org है। परियोजना, संविदा, नियुक्ति प्रक्रिया आदि सहित कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख सूचना वैबसाइट में दिया है।

पत्राचार केलिए पता :
पंजीकृत कार्य़ालय
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड
8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर
पार्क एवन्यू
कोच्ची - 682011

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष

वर्ष 2013-2014 के लेखा

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड

तुलन पत्र 31 मार्च 2014

राशी (लाखों में)

विवरण	नोट. सं	31 मार्च 2014 में	31 मार्च 2013 में
1. साम्य तथा देयताएँ			
(1) शेयरधारियों की निधि			
(क) शेयर पूँजी	3	21,500.00	500.00
(ख) आरक्षित और अधिशेष	4	(270.11)	-
(ग) शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त घन		-	-
(2) शेयर आवेदन के पैसे लंबित आबंटन	5	24,930.00	12,530.00
(3) चालू रहित देयताएँ			
(क) दीर्घकालीन ऋण	6	23,425.00	20,925.00
(ख) अस्थगित कर देयताएँ (कुल)	12	-	12.96
(ग) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ		-	-
(घ) दीर्घकालीन प्रावधान	7	31.11	-
(4) चालू देयताएँ			
(क) अल्पकालीन ऋण		-	-
(ख) व्यापार देय		-	-
(ग) अन्य चालू देयताएँ	8	6,829.01	2,029.33
(घ) अल्पकालीन प्रावधान	9	0.39	-
कुल		**76,445.40**	**35,997.29**
2. आस्तियाँ			
(1) चालू रहित आस्तियाँ			
(क) स्थाई आस्तियाँ			
(1) मूर्त परिसंपत्तियाँ	10. A	12,023.19	204.79
(2) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	10. B	29.11	15.23
(3) चालू पूँजिगत कार्य	11	25,064.12	-
(4) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-		-
(ख) चालू रहित निवेश	-		-
(ग) अस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	12	130.83	-
(घ) दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम	13	30,886.24	19.99
(ङ) अन्य चालू रहित परिसंपत्तियाँ		-	-
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) चालू निवेश		-	-
(ख) मालसूची		-	-
(ग) व्यापार प्राप्य		-	-
(घ) नकद व नकद समकक्ष	14	8,133.30	35,110.06
(ङ) अल्पकालीन ऋण व अग्रिम	15	178.61	647.22
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		-	-
कुल		**76,445.40**	**35,997.29**
सार्थक लेखा पोलिसी	2		
वित्तीय विवरण पर टिप्पणी	21		

हमारा रिपोर्ट संलग्न
के वर्गीस एण्ड कं केलिए
शासन पत्रित लेखाकार

निदेशक मंडल की ओर से और केलिए

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
साम वर्गीस	**बी.अनिलकुमार**	**एब्रहाम उम्मन**	**एलियास जोर्ज**
सहभागी	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 सितंबर 2014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 सितंबर 2014

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष केलिए लाभ और हानि का विवरण

राशी (लाखों में)

विवरण	नोट. सं	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
I. आय			
1. प्रवर्तन से राजस्व		-	-
2. अन्य आय	16	637.40	-
कुल राजस्व		**637.40**	**-**
II. व्यय			
1. कर्मचारी लाभ खर्च	17	223.94	-
2. वित्तीय लागत		-	-
3. मूल्य ह्रास और परिशोधन खर्च	18	26.54	-
4. अन्य व्यय	19	323.47	-
5. पूर्व कालावधि के समझौते (कुल)	20	454.01	-
कुल व्यय		**1027.96**	**-**
III. विशिष्ट और असाधारण मदों पर लाभ / (हानि) और कर (1-11)			
IV. विशिष्ट मदें		-	-
V. विशिष्ट और असाधार मदों पर लाभ / (हानि) और कर		(390.56)	-
VI. असाधारण मदें		-	-
VII. लाभ / हानि कर से पहले (V- VI)		(390.56)	-
VIII.कर व्यय :			
(1) चालू कर		23.34	-
(2) पृथक कर		(143.79)	-
IX. इस वर्ष के दौरान लाभ / हानि (VII - VIII)		**(270.11)**	**0.00**
X. प्रति साम्या शेयर पर अर्जन : (रुपयों में)			
(1) मूल		**(1.66)**	0.00
(2) पतला किया हुआ		**(0.66)**	0.00

हमारा रिपोर्ट संलग्न
के वर्गीस एण्ड कं केलिए
शासन पत्रित लेखाकार

निदेशक मंडल की ओर से और केलिए

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
साम वर्गीस	**बी.अनिलकुमार**	**एब्रहाम उम्मन**	**एलियास जोर्ज**
सहभागी	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 सितंबर 2014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 सितंबर 2014

वित्तीय विवरण के हिस्से के रूप में टिप्पणियों का निर्माण

1. संयुक्त संस्था की सूचना

कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन में कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड (के एम आर एल) स्वतंत्र संस्था है और कंपनी अधिनियम 1956 धारा 617 के अनुसार यह सरकार कंपनी है। कंपनी का गठन भारत सरकार (जी ओ आई) और केरल सरकार के समान अधिकारों, शेयरों के साथ कोच्ची शहर में मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के संयुक्त उद्यम है। केएम आर एल मेट्रो नेटवर्क के विकास की गुणवत्ता, उसकी प्रक्रिया, मरम्मत आदि के साथ प्रामाणिक प्रक्रियाओं को सौंपता है।

महत्वपूर्ण लेखा पोलिसी

2. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

(क) लेखा और वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

एक कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3) के अधीन लेखा स्तर और भारत के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के मिलन से होता है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार लगातार चलता रहता है यह संयुक्त कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के समझौते के अनुसार है। उपर्युक्त वित्तीय विवरण संगत कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान का अनुपालन करता है और केंद्र सरकार द्वारा कंपनी कानूनों के अधीन इसे प्रकाशित भी करते है। वित्तीय विवरण की तैयारी ऐतिहासिक मूल्यों को एकत्रित करके उसके आधार पर करता है। जब वित्तीय विवरण गत वर्ष के लेखा के साथ सिर्फ स्थायी संपत्तियों का मूल्य 5000 से कम स्थापित करते है तब लेखा पॉलिसी को स्वीकार करता है। विवरण के लाभ और हानि में सभी व्यय सीधे परियोजना की पूँजी में लग ा देता है और शेष व्यय रेवन्यू व्यय के रूप में दिखाते है।

(ख) मूल्य निरूपण का उपयोग

वित्तीय विवरण की तैयारी में भारतीय जी ए ए पी के साथ समानता लाने केलिए अनुशासन को कुछ मूल्यनिरूपण एवं मान्यताओं को तैयार करना चाहिए जिसमें प्रतिवेदित संपत्तियों और देयताओं, इस वर्ष के दौरान हुई आय और व्यय का मूल्य निहित हो। कुछ मूल्य निरूपण को अन्यों से ज्यादा उच्च स्तर के निर्णय की ज़रूरत है। प्राप्त सूचना

के अनुसार शासनकर्ता लगातार मूल्य निरूपण एवं निर्णयों का मूल्यांकन करता है और उनके अनुभव एवं विश्वास के आधार पर यह मूल्यांकन भी करता है कि वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रयुक्त मूल्य निरूपण विवेकपूर्ण एवं उचित है। शायद भविष्य के परिणाम इससे भिन्न होगा और सही परिणाम और मूल्य निरूपण के बीच का अन्दर परिणाम की घोषणा करते वक्त पहचानते है।

(ग) रेवन्यू की मान्यता

i. जमा पर ब्याज खति में बकाया राशी और लागू दर लीने के समय अनुपति के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ii. चालू वित्त वर्ष में खर्छ किये गए राजस्व और व्यय का वस्तुवाँ जो सीधे पूंजी परिसंपत्ति के निर्माण से संबधित नहीं तो लाभ और हानी के बयान में राजस्व व्य के रूप में डालता है।

(घ) स्थिर परिसंपत्ति (प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष संपत्ती)

अचल संपत्ति को ऐतिहासिक लागत, कम संचित मूल्यवास और हानि यदि इनमें से कुछ भी कहा जाता है। अचल संपत्ति में वसूली करों के किसी भी आयात शुल्क और अन्य करों के जाल सहित अपनी खरीबी मूल्य और इसके उपयोग केलिए परिसंपत्ति तैयार करने पर किसी भी सीधे कारण व्यय और अन्य आकस्मिक व्यय और योग्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उधारी ब्याज जब यह संपत्ति उपयोग केलिए तैयार होने के तिथि तक और किसी भी व्यापार की छूट और छूट का शुद्ध शामिल है। तुलन पत्र की तारीख में निर्माणाधीन संपत्ति को प्रगति में मुख्य काम (सी डब्ल्यू अई.पी) के रूप में दिखाया जाता है। निर्माण गतिविधि से सीधे जुडे व्यय पूंजीकृत किया जाता है। परियोजना के विविध घटकों को लगाये गये सभी प्रत्यक्ष व्यय का हिसाब प्रगति में मुख्य काम के अंतर्गत रखता है। सामान्य व्यय जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबधित हो, मगर काम के एक से ज्यादा भाग में निर्माण के समय लिया गया खर्च है तो उसको सी डब्ल्यू अई पी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, वह काम पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों पर बँटवारा करते है।

अधीनरस्थ ऋण के कारण कम अवधि के जमा पर अर्जित ब्याज कुल सी डब्ल्यू अई पी से कटौती को जाती है। डी एम आर सी केलिए प्रदान की गई परियोजना धन पर प्राप्त ब्याज सी डब्ल्यू अई पी द्वारा कम करते है।

प्रगति में निर्माण व्यय विवरण और डीएम आर सी ने प्रदान किये के एम आर एल परियोजना निदेशालय द्वारा सत्यजित किये गये प्रबंधन प्रमाण पत्र के अनुसार निर्धारित किया है।

ङ) भूमि

ज़मीन्दारों द्वारा सौंपा गया भूमि समूह और जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त भूमि के मूल्य को भूमि के कब्जा लेते समय कंपनी के नाम पर पंजीकरण केलिए इंतजार किये बिना पूंजीकृत करते है। निर्माण के लिए सौंपे गए सरकार के विभिन्न निकायों और विभागों के अंतर्गत आनेवाले भूमि का मूल्य, देय राशी और अन्य शर्तों को अभी तक अंतिम रूप नहीं देने के कारण, पूंजीकरण नहीं किया गया है। सीधे खरीदी गई जमीन कम्पनी के पक्ष में भूमि का पंजीकरण पर पूंजीकृत है। यदि बढ़ाया मुआवजा, कुछ है तो भुगतान की वजह से निर्धारित किया जाता है। संरचनाओं के अधिग्रहणों की लागत भूमि की लागत में लगा रहा है। ध्वस्त ऐसी संरचनाओं के अधिग्रहणों की लागत भूमि की लागत में लगा रहा है। ध्वस्त ऐसी संरचनाओं की बिक्री से प्राप्त आय को अधिग्रहण की लागत से कम कर रहे है।

च) संपत्ति की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में संपत्ति के मूल्यों की क्षति की समीक्षा करते है। ऐसे क्षति के कोई संकेत मौजूद है, ऐसी संपत्ति की वसूली योग्य राशी का अनुमान करते है और क्षति को मान्यता प्राप्त होता है। मान्यता प्राप्त क्षति नुकसान को लाभ और हानिके बयान में लगाया जाता है, इस साल में ऐसे बिगड रूप में एक परिसंपत्ति की पहचान की है।

छ) मूल्यह्रास और परिशोधन

कंपनी की भौतिक आस्तियाँ मूल्यह्रास, कम्पनी अधिनियम 1956 अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के दौरान खरीदी संपत्ति के यथानुपात आधार पर, अवधि में संपत्ति इस्तेमाल किया है तो प्रदान की गई है। 5000 रुपये से कम लागत व्यक्तिगत सपत्तियाँ खरीदी के समही राजस्व में लगाया जाता है।

अमूर्त संपत्ति अपनी उपयोगी जीवन या पाँच वर्ष जो भी कम है तो परिशोधन करता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में अमूर्त आस्तियों की अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन अवधि की समीक्षा की जाती है और परिशोधन पद्धति के बदलते तरीके को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया जाता है।

ज) प्रावधानों, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

यदि भूतपूर्व घटनाओं के कारण कंपनी को वर्तमान में कुछ दायित्व है तो इन कर्तव्यों को निभाने हेतु विश्वसनीय अनुमान को तैयार करके इस सशक्त बहिर्वाह को व्यवसस्थित करने का प्रवधान है। ऐसे प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में विवरण देता है और मौजूद सबसे अच्छा अनुमान प्रतिबिंबित करने केलिए समायोजित कर रहे है। जब कंपनी के नियंत्रण से परे संभव दायित्व जो अतीत की घटनाओं से पैदा होती है, जिसका अस्तित्व घटना या एक या एक से अधिक अनिश्चित घटनाओं के गैर घटना से पृष्टी की जाएगी तब एक आकस्मिक देयता मान्यता प्राप्त है। अथवा यह संभवतः नहीं है कि संसाधनों की एक बहिर्वाह दायित्व व्यवस्थित करने केलिए अवश्यक है इसलिए एक वर्तमान दायित्व को मान्यता प्राप्त नहीं मिला है। आकस्मिक परिसंपत्ति वित्तीय बयान में मान्यता प्राप्त नहीं है।

झ) आय पर कर

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित रूप में चालू कर, कर वर्ष केलिए कर योग्य आय़ पर देय है। डिफेर्ड़ कर योग्य आय और लेखा आय़ के बीच समय के अंतर पर मान्यता प्राप्त है कि एक अवधि में आरंभ और एक या एक से अधिक बाद के समय उत्क्रमण केलिए सक्षम है। अनवशोषित मूल्यह्रास के संबंध में कर संपत्ति और घाटे में पहचाने जाते है कि आगे ले जाना है, अगर वहाँ आभासी निश्चितता नहीं होगा कि इस तरह के नुकसान का एहसास करने केलिए उपलब्द पर्याप्त भविष्य योग्य कर अन्य डिफोर्ड कर संपत्ति ऐसी संपत्ति का एहसास करने केलिए पर्य़ाप्त भविष्य कर योग्य आय होगी कि उचित निश्चितता अगर वहाँ पहचाने जाते। डिफर कर संपत्ति की कार्य़वंति होने केलिए प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

ञ) विदेशी मुद्रा लेन देन/ अनुवाद (बदलना)

विदेशी मुद्रा में लेन-देन कंपनी ने लेन देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मुद्रित चीज़ें सूचित तारिख के विनिमय दरों में बदल देता है।

अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित आर्थित चीज के संबंध में उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा का अंतर पहले पूंजीकरण से संबंधित अचल संपत्तियों/ मूलधन, पूंजी प्रगति की वहन लागत को समायोजित कर रहे है। अन्य विनिमय जिसमें मतभेद है वे जो अवधि में आय या व्यय के रूप में माना जाता है।

ड) कर्मचारी सुविधा

1) **भविष्य निधीः** कंपनी के योग्य कर्मचारियों को, कर्मचारी और कंपनी दोनों, वेतना का एक निर्धारित प्रतिशत मासिक योगदान करने पर जो भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त होगा। योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में भुगतान किया जाता है।

2) **उपदानः** एकचुरियल वैल्युएशन के अनुसार उपदान की ओर चालू वर्ष के दौरान प्रदान की जाती है।

3) **अर्जित अवकाश और आधा वेतनः** कंपनी कर्मचारियों केलिए अर्जित अवकाश और आधा वेतन छुट्टियों की फायदा प्रदान की जाती है। इस खाते में दायित्व एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

4) **एल.टी.सीः** कंपनी ने अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को अपने शहर तथा भारत के किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ट) उधार लागत

उधार लागत में ब्याज, ब्याज लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाता है हद तक विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होनेवाली अनुषंगी (सहायक) लागत खर्च और विनिमय मतभेद आदि शामिल है। अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित नहीं हद तक धन का उधार के सिलसिले में लागत ऋण का कार्यकाल खत्म होने पर लाभ और हानी के बयान में लगाया जाता है। उधार लेने की लागत अर्हक संपत्ति के लिए आबंटित और उपयोग किया, अर्हक संपत्ति के निर्माण / विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से पूंजीकरण की तिथि तक की संपत्ति ऐसी संपत्ति को परिसंपत्तियों की लागत में जोड रहे है।

ढ) खंड प्रतिवेदन

कंपनी के लिए सिर्फ एक व्यापार खंड है। वह है कोच्ची मेट्रोरेल प्रणाली का विकास और रखरखाव। तदनुसार, वित्तीय बयान में प्रदर्शिद राशियाँ कंपनी के एकल के व्यापार के क्षेत्र से जुडे हुए है।

ठ) नकद और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन केलिए)

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन केलिए नकद और नकद समकक्ष में बैंक में नकद, सरकारी को पगार और बैकों के साथ अल्पकालिक जमा पर नकद आदि शामिल हैं।

ण) नकदी प्रवाह विवरण

सूचित कर रहे है कि नकदी प्रवाह ए एस उपयोग कर परोक्ष विधि का जिससे लाभ या हानी और नकद स्वभाव का लेनदेन और अतीत या भविष्य नकद प्रप्ति या भुगतान के किससी भी डिफोर्ड या अपचय के प्रभाव केलिए निकाला जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह अलग उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।

प) वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

यदि साधारण व्यापार कोर्स में पहचानना है तो वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम को तुलन पत्र में स्थित मूल्यों के आधार पर देखना होगा।

फ) प्रतिशेयर आय

इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भरित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के कारण उत्पन्न शुद्ध लाभ या हानी विभाजित करके गणना की मूल आय प्रति शेयर के रूप में है। प्रति शेयर आय पतला गणना के प्रयोजन केलिए, इक्विटी शोयरधारकों और अवधि के दौरान बकाया के शेयरों की भरित औसत संख्या के कारण शुद्ध लाभ और हानी सभी पतले संभावित इक्विटि शेयरों के प्रभाव केलिए समयोजित किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2014 वित्तीय विवरण के टिप्पणी का हिस्सा

टिप्पणी सं- 3-शेयर पूंजी राशी (रूपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2014 में	31 मार्च 2013 में
अ)	अधिकृत 100 रुपये की प्रत्येक 200,000,000 सामान्य शेयरों (पिछले वर्ष में 100 रुपये प्रत्येक 200,000,000 सामान्य शेयरों	2,00,000.00	200,000.00
आ)	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से प्रदत्त 100 रुपये की प्रत्येक 21,500,000 समान्य शेयरों (पिछले वर्ष में 100 रुपये प्रत्येक 5,00,000 सामान्य शेयरें)	21,500.00	500.00
इ)	रिपोर्टाधीन अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों की सुलह		

विवरण	31 मार्च 2014 में		31 मार्च 2014 में	
	शेयरों की संख्या	राशी रुपये (लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशी रुपये (लाखों में)
साल की शुरुआत में	500.00	500.00	250.00	250.00
वर्ष के दौरान आबंटित	21,000.00	21,000.00	250.00	250.00
वर्ष के अंत में बकाया	21,500.00	21,500.00	500.00	500.00

ई) कंपनी में 5 प्रतिशत से ज्यादा शेयरें धारण किये गये हर शेयरधारक

Name of Shareholder	31 मार्च 2014 में		31 मार्च 2013 में	
	शेयरों की संख्या	धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारण प्रतिशत
भारत सरकार	10,750.00	50	250,000	50
केरल सरकार	10,750.00	50	250,000	50

कंपनी 100 रुपये प्रति शेयर के सममूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक वर्ग है। प्रत्येक शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार और कंपनी के बैठक में प्रति शेयर वोट केलिए भी हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक भी कोई हो, सभी नरजी हो राशी के विवरण के बाद उनके द्वारा धारित शंयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के योग्य है।

टिप्पणी- 4 आरक्षित निधि और अधिशेष राशी (रूपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2014 में	31 मार्च 2013 में
अ)	**शेयर आवेदन के पैसे की लंबित आबंटन**		
	प्रारंभिक जमा	-	-
	वर्ष केलिए अतिरिक्त लाभ / (हानि)	(270.11)	-
	रोकड बाकी	(270.11)	-

NOTE No. 5 - Share application money received, pending allotment राशी (रूपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2014 में	31 मार्च 2013 में
	शेयर आवेदन पैसे प्राप्त, लंबित आवंटन		
अ)	भारत सरकार	1,530.00	2,030.00
आ)	केरल सरकार	23,400.00	10,500.00
		24,930.00	12,530.00

5.1 कोच्ची मेट्रो रेल मिमिटड, भारत सरकार (बी ओ आई) और केरल सरकार (जी.ओ के द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें 50 इक्विटी शेयरों दोनों सरकार के पकड में है। इक्विटी योगदान, चरणों में और सरकारों का बराबर हिस्सेदारी बनाए रखने केलिए जारि किया जा रहा है, शेयर आवेदन के पैसे अन्य सरकारों के मिलन योगदान प्राप्त होने तक अतिरिक्त विज्ञाप्ति आयोजित की जाती है। इस तरह से मेल खाते योगदान प्राप्त होने के तुरंत बाद बोर्ड बैठक के बाद शेयर आंबटन किया जाएगा।

5.2 सममूल्य रुपये 100 पर प्रत्येक के इक्विटी शेयरों के मौजूदा शेयरों के समान सभी योग्य शेयर धारकों केलिए जारी किया जाएगा, दोनों सरकारों की इक्विटी धारिता का अनुपात बराबर है कि इस तरह के तरीके से जारी किए गये है।

5.3 कंपनी को शेयर आवेदन के पैसे के खिलाफ शेयरों के आवंटन से उत्पन्न शेयर पूंजी राशी को पार करने के लिए पर्याप्त अधिकृत शेयर पूंजी है।

टिप्पणी सं - 6 दीर्घकालिक -उधार राशी (रूपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2014 में	31 मार्च 2013 में
	ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण (असुरक्षित)		
अ)	भारत सरकार	2,500	–
आ)	केरल सरकार	20,925	20,925
		23,425	20,925

6.1 अनुमोदन सं.के - 14011/37/2005 - एम- दि. 12 जुलैई 2012 में कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना केलिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कुल परियोजना लागत में शामिल केंद्रित करों का हिस्सा भारत सरकार और केरल सरकार ने समान रूप से लिया है ब्याज मुक्त राशी उप तालमेल ऋण के रूप में जारी किया जाएगा और भारत सरकार और केरल सरकार दोनों का शेयर 248.50 करोड हो जाएगी।उसी आदेश के अनुसार, इस परियोजना केलिए भूमि, अधिग्रहण की लागत, अनुमान 672 करोड रुपये भी ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में केरल सरकार प्रदान किया जाएगा।

6.2 वर्ष के दौरान, कंपनी को 25 करोड रुपये भारत सरकार की ओर से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है। कंपनी को भूमि अधिग्रहण, लागत को पूरा करने केलिए 2012-13 वित्तीय वर्ष में ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में केरल सरकार से 209.25 करोड रुपये भी प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त राशियाँ साल के अंत में बकाया है।

6.3 अधीनस्थ ऋण वरिष्ठ अवधि की अदयगी के बाद प्रतिदेय है। चुकौती अनुसूची और इन ऋणों की अन्य नियम एवं शर्ते भारत सरकार और केरल सरकार जारी किए जाने वाले है।

टिप्पणी - 7 लंबी अवधि की प्रावधानें

राशी (रूपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2014 में	31 मार्च 2013 में
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अ)	उपदान केलिए प्रावधान	6.59	-
आ)	अर्जित अवकाश केलिए प्रावधान	14.78	-
इ)	आधा वेतन केलिए प्रावधान	9.74	-
		31.11	

टिप्पणी - 8 - अन्य चालू देयताएँ

राशी (रूपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2014 में	31 मार्च 2013 में
	आरक्षित		
अ)	वैधानिक भुगतान	9.89	1.48
आ)	व्यापार / प्रतिभूति जमा	33.37	1.34
इ)	अचल संपत्तियों की खरीदी	1.72	-
ई)	भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	4,619.43	-
उ)	अन्य		
	1. परियोजना से संबंधित देयताए	481.71	14.57
	2. केरल रोड फंड बोड	1,493.02	-
	3. केरल सरकार	98.82	1,979.00
	4. अन्य	91.05	32.94
		6,829.01	2,029.33

टिप्पणी - 9 - लघु अवधि के प्रावधान

राशी (रूपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2014 में	31 मार्च 2013 में
	कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान		
अ)	उपदान केलिए प्रावधान	0.08	-
आ)	अर्जित अवकाश केलिए प्रावधान	0.19	-
इ)	आधा वेतन केलिए प्रावधान	0.12	-
		0.39	

अचल संपत्तियाँ
टिप्पणी 10 ए मूर्त अचल संपत्तियाँ नं 10 ए मूर्त अचल संपत्तियाँ

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / परिशोधन					नेट ब्लॉक	
	01-04-2013 में शेष राशी	वर्ष दौरान परिवर्धन / समायोजन	वर्ष को दौरान कटौती / समायोजन	31-03-2014 में शेष राशी	01-04-2013 में शेष राशी	वर्ष के लिए मूल्य ह्रास	परिवर्धन अन्य समायोजन	बेच संपत्ति पर समयोजन	31-03-14 में संचित मूल्यह्रास	31-03-2014 में शेष राशी	31-03-2013 में शेष राशी
भूमि	-	11,789.31	-	11,789.31	-	-	-	-	-	11,789.31	-
कंप्यूटर्स	53.22	19.49	11.19	61.52	10.47	8.80	-	2.35	16.92	44.60	42.75
विद्युत उपकरण	5.65	3.11	0.05	8.71	0.39	0.34	-	0.05	0.68	8.03	5.21
विद्युत सामग्री	7.28	0.24	-	7.52	0.46	0.35	-	-	0.81	6.71	6.82
विद्युत अधिष्ठापन	54.90	9.09	-	63.99	3.38	2.68	-	-	6.06	57.93	51.52
अग्नि उपकरण	0.51	-	-	0.51	0.51	-	-	-	0.51	-	-
फर्णीचर जुडबार	86.07	7.41	8.34	85.14	15.55	4.97	-	8.34	12.18	72.96	70.52
कार्यालय उपकरण	9.68	13.48	0.07	23.09	0.85	0.95	0.51	0.07	2.24	20.85	8.83
ट्रेफिक उपकरण	5.15	-	5.15	-	5.15	-	-	5.15	-	-	-
वाहन	21.76	16.21	13.29	24.68	2.67	2.12	-	2.91	1.88	22.80	19.09
कुल	**244.22**	**11,858.34**	**38.09**	**12,064.47**	**39.43**	**20.21**	**0.51**	**18.87**	**41.28**	**12,023.19**	**204.74**
पिछले साल	**232.85**	**25.51**	**14.14**	244.22	**7.07**	**32.36**	-	-	**39.44**	**204.79**	
टिप्पणी नं 10.बी अमूर्त अचल संपत्तियाँ											
साँफटवेयर	20.04	20.22	0.04	40.22	4.81	6.34	-	0.04	11.11	29.11	15.23
कुल	**20.04**	**20.22**	**0.04**	**40.22**	**4.81**	**6.34**	**-**	**0.04**	**11.11**	**29.11**	**15.23**
पिछले साल	**19.52**	**0.52**	-	20.04	**1.17**	**3.64**	-	-	**4.81**	15.23	-

टिप्पणी :-

1. कंपनी ने वर्ष के दौरान 19.07 हेक्टेर के भूमि कब्जे में ले लिया है।
2. पूंजीकृत मूल्य ज़मिन्दारों और जिल्ला स्वर खरीद समिति के बीच सहमति खरीद मूल्य है। कंपनी इन शुल्क की छूट केलिए केरल सरकार से संपर्क किया तब से पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क को ध्यान में नही लिया। इससे संबध में सरकार आदेश की प्रतिज्ञा है।
3. कंपनी के नाम पर भूमि का पंजीकरण प्रक्रिया के तहत है।
4. विभिन्न सरकारी निकायों / विभागों से संबंधित 1.63 हेक्टेर भूमि में एक हद मेट्रो का काम चल रहा है। कीमत की लंबित अंतिम रूप देने, स्थानांतरण औपचारिकताओं और अन्य वस्तुओं और स्थितियों, ऐसे समूह अचल संपत्तियों में शामिल नहीं होगा।
5. 5000 रुपये से कंपनी के लागत की व्यक्तिगत संपत्तियाँ खरीदते समय ही राजस्व में लगाया जाता है। पिछले वर्ष के दौरान इन परिसंपत्तियाँ संपत्ति रेजिस्टेट में 100 मूल्यह्रास के साथ हासिल किये है। लेखांकन नीति इस बदलाव से वित्तीय बयानों पर इतना बडा बदलाव नहीं है।

नोट नं 11- पूँजी काम प्रगति पर

राशी (रूपये लाखों में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
क)	कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना	24,756.90	-
ख)	कार्यालय का मरम्मत डब्लियू आई पी	98.79	-
ग)	फेस दो की वृद्धि	208.43	-
		25,064.12	-

नोट नं 12 - अस्थगित कर संपत्तियाँ (कुल)

राशी (रूपये लाखों में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
क)	अस्थगित कर देयताएँ स्थिर संपत्तियों के बुक अथशेष और कर अथ शेष का अंतर	(19.57)	12.96
ख)	अस्थगित कर संपत्त्याँ अस्थगित कर संपत्तियाँ प्रारंभिक व्यय और प्रावधान	150.40	–
		130.83	12.96

नोट नं.13 दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम

राशी (रूपये लाखों में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
	पूँजी अग्रिम (असुरक्षित और सहीमाना गया)		
क)	डी एम आर सी को दी गई परियोजना अग्रिम	21,561.60	-
ख)	जिलाघीश - भूमि प्राप्ति	8,948.13	-
	सुरक्षा - जमा (असुरक्षित और सही माना गया)		
क)	दूरभाषा जमा	0.41	0.17
ख)	सुरक्षा जमा - किराया	32.87	14.13
ग)	सुरक्षा जमा - कर्मस्थल का निर्माण)	310.13	-
	अन्य (असुरक्षित और सही माना गया		
क)	कराधान (कुल प्रावधान)	33.10	5.69
		30,886.24	19.99

नोट नं 14 नकद और समानवाला

राशी (रूपये लाखों में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
क)	बैंकों में अथशेष (चालू खाते में)	56.70	469.13
ख)	उप कोषगृह के खाते में	5,700.70	32,441.70
ग)	नियत जमा (12 महीने से ज्यादा प्रौढता)	2,375.40	2,198.61
घ)	बैंकों में अलग से सुरक्षित	0.50	0.50
ङ)	हाथ में बचा हुआ	-	0.12
		8,133.30	35,110.06

नोट नं 15 अल्पकालीन नियत ऋण और अग्रिम

राशी (रूपये लाखों में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
	अन्य (असुरक्षित और सही माना गया)		
क)	संचालन अग्रिम	39.42	-
ख)	पूर्व दत्त व्यय	119.41	0.02
ग)	सूद का लाभ	16.39	14.13
घ)	यात्रा अग्रिम	0.81	1.40
ङ)	अन्य कर्माचारी अग्रिम	1.85	0.90
f)	अन्य	0.73	1.39
छ)	प्रारंभिक & प्रक्रिया पूर्व व्यय	0.00	629.38
		178.61	647.22

नोट नं 16 अन्य आय

राशी (रूपये लाखों में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
क)	बैंक जमा का सूद	625.86	-
ख)	अन्य स्थाई आय आवेदन शुल्क, नियुक्ति, निविदा, आर.टी.आइ	11.54	-
		637.40	-

नोट नं.17 कर्मचारियों के लाभ व्यय

राशी (रूपये लाखों में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
क)	वेतन और तनख्वाह	184.54	-
ख)	भविष्यनिधि केलिए अंशदान और अन्य राशी	17.01	-
ग)	उपदान (निधिक)	3.76	-
घ)	कर्मचारी कल्याण व्यय	18.63	-
		223.94	-

नोट नं.18 मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

राशी (रूपये लाखों में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
क)	स्पष्ट आस्तियाँ	20.21	-
ख)	अस्पष्ट आस्तियाँ	6.34	-
		26.54	-

नोट नं.19 अन्य व्यय

राशी (रूपये लाखों में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
क)	विज्ञापन	44.91	-
ख)	बिजली और इंधन	17.43	-
ग)	किराया, दरें और कर	33.08	-
घ)	मरम्मत	4.39	-
ङ)	बीमा	0.06	-
च)	यात्रा सुविधा	94.73	-
छ)	प्रिंटिंग और सामग्री	10.44	-
ज)	घटना और पदोन्नती	25.79	-
झ)	कानून और व्यावसायिक	31.36	-
ञ)	लेखा परीक्षकों केलिए भुगतान	1.12	-
ट)	स्थाई आस्तियों के बिक्रि पर हानि	3.96	-
ढ)	कार्यालय व्यय	42.12	-
ड)	अन्य मिश्रण	14.08	-
		323.47	-

19.1 लेखापरीक्षकों केलिए भुगतान

i.	लेखा शुल्क (सर्विस कर के साथ)	1.12	-
ii.	जेब के अलावा व्यय	-	-

नोट नं.20 पूर्व कालावधि समझौता

राशी (रूपये लाखों में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
क)	प्रारंभिक व्यय	200.52	-
ख)	प्रक्रियापूर्व व्यय (पूंजी के बाद कुल)	254.72	-
ग)	अवमूल्यन	(1.23)	-
		454.01	-

वर्ष 2011-12, 2012-13 के प्रारंभिक व्यय और प्रक्रियापूर्व व्यय रु200.52 और 254.72 लाख वर्तमान वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि विवरण में लिखा है।

टिप्पणी - 21

1. विदेशी मुद्रा में व्यय

राशी (लाखों में)

विवरण	31.03.2014 में	31.03.2013 में
पर्यटन और यात्रा	8.19	-

2. प्रगति में मुख्य काम (सी.डब्लियू, आई.पी)

मेट्रो रेल प्रणाली, निर्माण प्रगति पर है। दिनांक 23 मई 2013 करार के अनुसार, 2-06-2017 या उससे पहले डी.एम आर सी ने परियोजना से संबंधित सारे काम पूरा करते है और जुटाना शुल्क जारी होने की तारीख से 48 महीने के अंतर प्रणाली को चालू भी करेगा।

इमारतों और निर्माण के लिए ध्वस्त अन्य संरचनाओं की आय की बिक्री ऐसी संरचनाओं के अथिग्रहण की लागत से कम रहे है। इसलिए रिपोर्टाधीन वर्ष में कम राशी रुपये 0.58 लाख है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में डी एम आर सी का क्रियान्वयन शुल्क राशी रु 62.03 करोड को पूंजीकरण लंबित निर्माण दौरान खर्च के रूप में सी डब्ल्यू अई पी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

डीएम आर सी के साथ करार के अनुसार परियोजना लागत तिमाही के रूप में भुगतान किया जाता है। इन फंडों की जमा पर प्राप्त ब्याज सी डब्ल्यू आई पी से कम करते है। इसलिए इस वर्ष के दौरान हिसाब ब्याज 6.63 करोड है।

3. प्रारंभिक काम

केरल सरकार आदेश जी.ओ 34/2010 दि 19-03-2010 के अनुसार डीएम आर सी ने पाँच प्रारंभिक कामों का उत्तरदायित्व लिया है। इस संपत्ति का अधिकार सरकार के पास ही होगा। के एम आर एल के गठन के बाद इस काम करने का धन के एम आर एल द्वारा दे रहा है और इस खाते पर पूरे खर्च केरल सरकार से प्राप्त धन के मुकाबले निर्धारित करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल व्यय रु.18.80 करोड है। के.एम आर एल सीधे 2011-2012 और 2012-2013 सालों में परियोजना केलिए प्रारंभिक काम के रूप में रु 21.52 करोड की लागत से सडक निर्माण, नहर का काम आदि काम किया गया है। केरल सरकार ने 02-06-2014 को प्रशासनिक अनुमोदन सं जी.ओ (एम.एस) सं 39/2014/ Trans से इस व्यय का अनुमोदन किया है यह व्यय केरल सरकार द्वारा प्रारंभिक काम के लिए प्रदान किये गये निधि से किया जायेगा।

4. इडप्पल्ली फ्लै ओवर

केरल सरकार के आदेश संख्या जी.ओ (आर टी) सं.714/2013 पी.डब्ल्यू.डी दिनांक 13-05-2013 के अनुसार मेट्रो रेल पुल को निर्माण के साथ-साथ डी एम आर सी के माध्यम से के एम आर एल को इडप्पल्ली फ्लाई ओवर का निर्माण काम सौंपा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस काम केलिए के एम आर एल को केरला रोड फंड बोर्ड (के आर एफ बी) द्वारा 25 करोड रुपये जारी की गई है। एक एम ओ यू कार्यान्वयन से संबंधित विवरण का अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेट्रो संरचनाओं भी शामिल होने के बाद इन लागत के हिस्से के एम आर एल को लगाया जा सकता है, फ्लाई ओवर निर्माण केलिए चालू वित्तीय वर्ष में के एम आर एल द्वारा भुगतान कुल राशी 10.07 करोड है। निर्माण गतिविधि शुरू करने के लिए अग्रिम के रूप में 10 करोड रुपए डी एम आर सी को जारी किया गया था। उपरोक्त निर्माण से संबंधित सारा व्यय के आर.एफ.बी द्वारा लब्ध कराई गई निधियों से मुलाकात की गई है।

5. ए एस - 15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ के संबंध में प्रकटीकरण

i. **भविष्य निधि**: कंपनी के योग्य कर्मचारियाँ भविष्य निधि के अन्तर्गत आनेवाले कई सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार है जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों के वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत मासिक योगदान के रूप में डाल सकते है। योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में भुगतान किया जाता है।

ii. **उपदानः** उपदान अधिनियम 1972 के अनुसार हर कर्मचारी जो पाँच साल या उससे अधिक की सेवा में है तो उसे उपादान प्रदान की जाती है। के एम आर एल अपनी परियोजना चरण में है और कोई भी कर्मचारी उपदान केलिए योग्य अवधि पूरी कर ली है। फिर भी चुरियल वाल्यूफशन के अनुसार प्रावधानों उपदान खातों में किया गया है।

iii. **अर्जित अवकाश और आधा वेतन छुट्टीः** मानव संसाधन नीति के अनुसार कंपनी ने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और अवधी वेतन छुट्टी का फायदा भी प्रदान करता है। एक चुरियलर वाल्यूशन के आधार पर इस खाते के देयत्व को मान्यता प्राप्त है।

iv. **एल.टी.सीः** बोर्ड ने 2014 में एल टी सी नीति को मंजूरी दिया है। अब तक कर्मचारी से कोई भी इस सुविधा का फायदा नहीं उठाया है। रिर्पोटाधीन साल में एल टी सी अवधि महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कोई दायित्व एल टी सी खाते से प्रदान किया है।

v. **बीमाः** कंपनी ने वर्तमान साल के दौरान अपने सभी योग्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी और जीवन बीमा पॉलिसी ली है।

vi. लाभ-हानि और तुलन पत्र के बयान में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभ का संक्षेप स्थिति के तहत

अ) लाभ और हानी के बयान में मान्यता दी खर्च

राशी (लाखों में)

विवरण	साल	उपदान	अर्जित अवकाश	आधवेतन छुट्टी
वर्तमान सेवा लागत	2013-14	6.67	14.97	9.86
	2012-13	नहीं	नहीं	नहीं
लाश और हानी ने मान्यता प्राप्त राशी	2013-14	3.76	8.44	5.55
	2012-13	नहीं	नहीं	नहीं

राशी (लाखों में)

विवरण	साल	उपदान	अर्जित अवकाश	आधवेतन छुट्टी
दायित्व का वर्तमान मूल्य	2013-14	6.67	14.97	9.86
	2012-13	NIL	NIL	NIL
तुलना पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति/दायित्व	2013-14	6.67	14.97	9.86
	2012-13	नहीं	नहीं	नहीं

ई) ऐक्यूरियत्त अनुमान

विवरण	2013-14	2012-13
निधीकरण व्यवस्था	Unfunded	नहीं
छूट दर	9.10%	नहीं
ए एस 15 आर पैरा 83-91 और 120 के अनुसार वेतन वृद्धि	3 %	नहीं
संघर्षण दर उद्यम द्वारा तय सेवा के दौरान छुट्टी और नकदीकरण के अनुपात	1 %	नहीं
नकदीकरण के अनुपात	10 %	नहीं
विभाजन पर नकदीकरण के अनुपात	10%	नहीं

6. ए एस-17 के संबंध में प्रकटीकरण (खंड रिपोर्टिंग)

कंपनी केलिए मुख्य एक ही व्यापार है जो कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का विकास उसको चलाना और बनाये रखना। तदनुसार, वित्तीय बयान में प्रदर्शित राशियाँ कंपनी के एक ही व्यापार के क्षेत्र से जुड़े है।

7. ए एस-19 के संबंध में प्रकटीकरण (पट्टों)

कंपनी के कर्मचारियों के आवास और कार्यालय केलिए पट्टे पर परिसर लिया है। इन पट्टा व्यवस्था आमतौर पर आपस में सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। वर्ष के दौरान कंपनी 14.33 लाख रुपये की राशी कर्मचारी की ओर से पट्टा किराया (वसूली का शुद्ध) का भुगतान किया गया है और कार्यालय की ओर 76.18 लाख रुपये।

8. ए एस - 20 प्रति शेयर के रूप में आय के संबंध में प्रकटीकरण (प्रति शेयर आय़)

विवरण	2013-14	2012-13
वर्ष केलिए शुद्ध लाभ/हानि (रुपये लाखों में)	(270.11)	-
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - आधारिक - पतला	 16,232,164 41,162,164	
मूल आय प्रतिशेयर (रु 100 अंकित मूल्य/ शेयर)	(1.66)	-
पतला आय प्रतिशेयर (रु 100 अंकित मूल्य / शेयर	(0.66)	-

9. ए एस-18 के संबंध में प्रकटीकरण (संबंधित पार्टियों के प्रकटीकरण)

अ. कुंजी प्रबंधन व्यक्तियों:

i. श्री. एलियास जोर्ज (प्रबंध निदेशक)

ii. श्री. महेष कुमार निदेशक (परियोजना)

iii. श्री. एब्रहाम उम्मन निदेशक (वित्त)

iv. श्री. वेदमणी तिवारी निदेशक (सिस्टम)

आ. संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण: राशी (लाखों में)

विवरण	31.03.2014 में	31.03.2013 में
वेतन & भत्ता	58.04	1.87
भविष्य निधि एवं अन्य में अंशदान	4.00	0.17
अन्य लाभ	16.79	0.58

i. प्रबंध निदेशक उनका वेतन सरकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में केरल सरकार से लेते है।

ii. निदेशक का कंपनी पॉलिसी केलिए कंपनी द्वारा किराये पर दिये गाडी का उपयोग करने की अनुमति देते है।

iii. ऐच्छिक दान में अंशदान देने का प्रावधान, छुट्टी हुंडी आदि वास्तविक मूल्यांकन के बाद ही निश्चय करता है।

10. AS - 22 (आय पर कर की लेखा केलिए) के बारे में प्रकटीकरण

A -22 प्रावधान में विलम्ब कर को लोखा में भारत के शासनपत्रित लेखाकारों की संस्था द्वारा प्रदान करता है।

11. A3-28 (आस्तियों की क्षति) के बारे में प्रकटीकरण

हाल ही में आस्तियों की क्षति के बारे में कोई सूचना नहीं है। इसलिए इस वित्तीय वर्ष में आस्तियों की क्षति नहीं हुई है।

12. 31 मार्च 2014 के मैक्रो, छोटे-मंझले साहसिक कार्यों के बारे में

31 मार्च 2014 तक मैक्रो, छोटे-मंझले साहसिक कार्यों केलिए कोई राशी देय नहीं है।

13. पूँजी दायित्वों, संभावित ऋण और संभावित आस्तियाँ

क) संभावित ऋण का प्रावधान नहीं।

ख) पूँजी और अन्य वादायें

(राशी लाखें में)

पूँजी वादायें	31 मार्च 2014 में	31 मार्च 2013 में
संविदा केलिए तैयार किये राशी अब भी बाकी है उसे पूँजी लेखा में निष्पादित किया है। परन्तु प्रयोग नहीं किया है	1,57,509.08	नहीं

ग) संभावित आस्ति

संभावित आस्तियाँ जो सार्थक एवं भौतिक है, नहीं है। (पूर्व वर्ष में - नहीं)

14. पूर्व वर्ष के गणित को वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण के साथ तुलना करने, जहाँ ज़रूरत लगे तो उसे पुनः संधों से / पुनः व्यवस्थित /पुन वर्गीकृत किया है।

निदेशक मंण्डली की ओर से और केलिए

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
बी.अनिलकुमार	**एब्रहाम उम्मन**	**एलियास जोर्ज**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16 सिंतबर 2014

हमारा रिपोर्ट कालावधि के साथ

संलग्न के वर्गीस & कं

शासनपत्रित लेखाकार

(हस्ताक्षर)

साम वर्गीस

सहभागी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16 सितंबर 2014

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड

31.03.2014 तक के नकदी प्रवाह विवरण (राशी में)

राशी (लाखों में)

विवरण	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
I. प्रचालन कार्यों से नकदी प्रवाह		
कुल लाभ / (हानि) कर से पहले	390.56	-
समझौते केलिए		
आस्तियों के बिक्रि में हानि	3.96	-
अवमूल्यन	26.54	-
पूर्व कालावधि समझौता	454.01	-
सूद उपार्जन	(625.86)	-
काम की पूँजी परिवर्तन आने से पहले लाभ उठाना		
समझौते केलिए	(531.91)	-
सीधा कर भुगतान	(23.34)	-
दीर्घकालीन और अन्य प्रावधान	31.50	-
विभिन्न कामों से प्राप्त कुल राशी	**523.75**	**-**
II. निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह		
स्थिर आस्तियाँ खरीदना	7,242.12	(25.76)
पूँजी डब्लियू आइ पी	24,890.25	-
अन्य		(8,374.73)
सूद उपार्जन	625.86	-
चालू के अलावा अव्य देय	30,866.25	-
अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	(160.50)	-
अन्य चालू ऋण	180.25	-
जमा कार्यों में प्रयुक्त कुल राशी	**(62,353.01)**	**(8,400.49)**
III. वित्तीय कार्यों से नकदी प्रवाह		
परिवहन विभाग से अग्रिम जी ओ के	-	9,142.10
केरल सरकार से ऋण	-	20,925.00
भारत सरकार से ऋण	2,500.00	-
शेयर पूँजी और शेयर आवेदन रुपए	33,400.00	12,780.00
वित्तीय कार्य में उपयुक्त कुल राशी	**35,900.00**	**42,847.10**
नकद और नकद के समानवालों में	26,976.76)	34,446.61
कुल बढाई सभी प्रारंभिक अवधी में	35,110.06	663.45
नकद और समानवाला अंतिम अवधी में नकद और	8,133.30	35,110.06
साम्य सम्मिलन		
नकद-हाथ में	-	0.12
नकद-बैंक में	8,133.30	35.10974

हमारा रिपोर्ट संलग्न
के वर्गीस एण्ड कं केलिए

निदेशक मंडल की ओर से और केलिए

साम वर्गीस **बी.अनिलकुमार** **एब्रहाम उम्मन** **एलियास जोर्ज**

लेखा परीक्षकों के रिपार्ट

सदस्य

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड

रेवन्यू टावर

पार्क एवन्यू

कोच्ची - 682011

केरल, भारत

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2014 तक के तुलना तथा नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचियाँ शामिल है।

वित्तीय विवरणों केलिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन प्रस्तुत वित्तीय विवरणों केलिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति का और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा और उससे संबंधित लेखाकरण मानकों के अनुसार कंपनी के वित्तीय निष्पादन का एक सही और स्पष्ट चित्र प्रदान करते है (जो कंपनी अधिनियम 2013 के संयुक्त कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के अनुसार प्रयुक्त है) जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लेखा सिद्धांतों पर बनाया गया है। इस जिम्मेदेरी के अंतगर्त तैयार केलिए उपयुक्त ढांचा, कार्यान्वयन, मरम्मत और अंतरूनी नियंत्रण का रखरखाव शामिल है और जो वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया है वह चाहे गलत बयानी से, चाहे छल से या गलती से हो, मुक्त हो, सही एवं स्पष्ट दिखाया है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। भारतीय शासन पत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण पर मानक रूप से हम लेखापरीक्षा चलाते हैं। इन मानकों की मांग है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुकरण करें और क्या ये वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत बयानी से मुक्त है कि नहीं इसके बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने केलिए लेखापरीक्षा का योजना बनाए और कार्य करें।

एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण की राशी व खुलासों के बारे में लेखापरीक्षक को सबूत प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का पालन भी करना चाहिए। चुनी हुई प्रक्रिया, लेखापरीक्षकों के निर्णय, वित्तीय विवरण का भौतिक गलत बयानी, चाहे वह छल से हो या गलती से इसका मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिम मूल्यांकन तैयार करने में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण और परिस्थिति के अनुयोज्य लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की रूप रेखा तैयार करने केलिए वित्तीय विवरण के स्वच्छ प्रस्तुतीकरण पर लेखापरीक्षक विचार करता है। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा बनाए लेखाकरण अनुमानों की औचित्य का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के सार्वभौम प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा सबूत प्रस्तुत किए हैं वे अपनी लेखापरीक्षा राय केलिए पर्याप्त व उचित आधार प्रदान करता है।

राय

हमारी राय और हमें प्रदान की गई सर्वोत्तम सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना जिस तरह प्रदान किया जाना है उसी तरह प्राप्त है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुसरण में सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है।

(क) 31 मार्च 2014 तक के कंपनी की परिस्थिति के तुलनपत्र के मामले में

(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए लाभ और हानि विवरण की मामले में

(ग) उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए नकदी प्रवाह के विवरण की मामले में

अन्य कानूनी तथा नियामक ज़रूरतों पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 227 की उपधारा 4ए के अनुसार भारत सरकार द्वारा ज़ारी कंपनी (लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित हम आदेश की चौथी व पांचवीं खण्डों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में देते है।

2. कंपनी अधिनियम की धारा 227 (3) के द्वारा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं :-

   क) हमारी लेखापरीक्षा के कार्य केलिए आवश्यक सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्राप्त हुआ है:-

ख) हमारी राय में कानून द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित पुस्तकों की अभी तक की हमारे जांच से पता चला है कि इन पुस्तकों को कंपनी द्वारा संभाला जाता है।

ग) इस रिपोर्ट में बताए गए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा किताबों से मेल खाता है।

घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण (जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 संयुक्तकार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013) में बताए गए लेखाकरण मानकों का अनुसरण करता है।

ङ) कंपनीकार्य विभाग द्वारा दिया गया विज्ञापन से जीए आर 829 (इ) दिनांक 21 अक्तूबर 2003 के अनुसार। कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 274 की उपधारा (1) प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है।

के.वर्गीस & कंपनी केलिए
शासनपत्रित लेखाकार
(कंपनी पंजीकरण नं 0045255)

(हस्ताक्षर)
साम वर्गीस
सहभागी
(सदस्यता नं.216979)

नई दिल्ली
16 सितंबर 2014

लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुबंध

अन्य कानून और व्यवस्थित मांग शीर्षक में अनुच्छेद (1) में बताये गए हमारा रिपोर्ट

1. स्थायी आस्तियों से संबंधितः

   क) सामान्यतः कंपनी उचित अभिलेख बनाए रखते है जो मात्रात्मक विवरण तथा अचल आस्तियों की स्थिति का विवरण दिखाता है।

   ख) हमें जो सूचना और विवरण दिया गया है उसके अनुसार इस वर्ष के दौरान प्रबंधन को स्थाई आस्तियों का उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं किया है। हमें दी गई विवरण के अनुसार स्थाई आस्तियों के अतिरिक्त का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा करता है। हमारी राय में हाथों से मूल्यांकन करना शाक्तिदायक है।

   ग) हमारी राय में इस वर्ष के दौरान स्ताई आस्तियों का जो जमा हुआ है, कंपनी केलिए पर्याप्त नहीं है और कंपनी के स्थापित स्तर को प्रभावित नहीं करता।

2. चल संपत्ति के बारे में:

   कंपनी के निर्माण कार्य प्रगति पथ पर है। वास्तव में यह कोई भौतिक चल संपत्ति की सूची नहीं लेते।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन पंजीकृत किसी भी संस्थान सुरक्षित या असुरक्षित कंपनी आदि कहीं से किसी भी प्रकार का ऋण कंपनी नहीं लिया है।

4. हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय यह है कि कंपनी के आकार के अनुरूप तथा अचल आस्तियों की खरीदी से संबंधित उसके कार्य़व्यापार की प्रकृति और निष्पादित किए जानेवाली कार्यों केलिए संविदा प्रदान किए जाने के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ हैं। वर्तमान वर्ष में कंपनी के कार्यव्यापारों में चल संपत्ति की खरीदारी एवं माल की बिक्रि नहीं हुई। हमारे लेखापरीक्षा के दौरान गंभीर कमज़ोरियों में फंसनेवाले कोई लगातार पराजय आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में नहीं दिखाई पडा।

5. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन संविदा और प्रबंध के बारे में

क) हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार संविदा और प्रबंध केलिए जो आदान-प्रदान की गई थी उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रजिस्टर में दर्ज करना है वह किया भी है।

ख) हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार इस वर्ष के दौरान संविदा और प्रबंध केलिए कंपनी अधिनियम 1956 की घारा के अधीन रु पाँच लाख या उससे ज्यादा किसी भी पार्टी के साथ लेने देन नहीं किया है.

6. हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी इस वर्ष के दौरान आम जनता से किसी भी प्रकार का कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

7. हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा शासन पत्रित लेखाकारों की संस्था द्वारा कंपनी ने कराया है जो सामान्य रूप से कंपनी के रूप और उसके कार्य व्यापारों को ध्यान में रखकर ही करते हैं।

8. भारत सरकार ने कंपनी केलिए अधिनियम की धारा 209 (1) (डी) के अधीन कोई मूल्य संबंधी रिकार्ड बनाकर नहीं रकता जो भी हो यहाँ लागू नहीं है।

9. क) हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार इस वर्ष के दौरान कंपनी लगातार अपने वादविवाद विहीन सांविधित जमा करते है उसमें भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्रि कर, सेवाकर, सेस और अन्य भौतिक सांविधिक उचित अधिकारियों के पास जमा किया है। जो भी हो कुछ संदर्भों में भविष्य निधि जमा करने में थोडी सी देरी हुई थी।

ख) हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्रिकर, सेवाकर, सेस और कोई अन्य सांविधिक देय में राशी के भुगतान में कोई भौतिक वादविवाद नहीं है वे जब से वह प्राप्त होना है उस तिथि से छः महीने में बकाया राशी के रूप में मिलेगा।

ग) हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2014 तक के लेखा में वादविवाद लाने लायक आयकर, बिक्रि कर सेवाकर, सेस व अन्य कोई सांविधिक देय नहीं है।

10. कंपनी को कम से कम पाँच वर्ष, का अस्तित्व है। कंपनी की संचित हानि उसके कुल मूल्य के 50% से भी कम है। वर्तमान वर्ष में कंपनी को नकद की हानि नहीं हुई है।

11. हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण और हमारे सामने प्रस्तुत की गई दस्तावेज़ों, रिकोडों के अनुसार हमारी राय में कंपनी वित्तीय संस्थाएँ/ बैकों को युगतान करने में गलत नहीं है।

12. हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी शेयर या अन्य सुरक्षा को प्रत्याभूति के रूप में रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

13. हमारी राय में कंपनी कोई चिट फंड या निधि / परस्पर हित लाभ निधि। समिती नहीं है। इसलिए कंपनी आदेश (लेखपरीक्षक रिपोर्ट) खण्ड 4 के वाक्य के प्रावधान इसकेलिए लागू नहीं है।

14. हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों और अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करता। इसलिए कंपनी आदेश का खण्ड 4 के प्रावधान इसकेलिए लागू नहीं है।

15. हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अन्यों द्वारा वित्तीय संस्था/ बैंकों से ली गई ऋण केलिए कोई गारंटी नहीं दिया है।

16. हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में इस वर्ष के दौरान कंपनी ने नियत ऋण केलिए आवेदन दिया है।

17. हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में कंपनी के तुलनापत्र पर पूरा मूल्यांकन करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि राशी अल्पकालीन नियम के आधार पर लिया है न कि दीर्घकालीन।

18. कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन कायम रजिस्टर में बताए गए पार्टियों व कंपनियों के अधिमान्य शेयरों का आबंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने किसी ऋणपत्रों को जारी नहीं किया है।

20. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने रूपयों का कोई पब्लिक इष्यू नहीं उठाया है।

21. हमारी जानकारी और हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में या कंपनी द्वारा कोई छल नहीं पाया गया है।

के.वर्गीस & कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
(संस्था पंजीकरण नं .0045255)

(हस्ताक्षर)
साम वर्गीस
सहभागी
(सदस्यता नं.216979)

नई दिल्ली
16 सितंबर 2014

भारत के नियंत्राधिकारी एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, हैदराबाद

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
COMEMRCIAL AUDIT AND EX-OFFICIO MEMBER,
AUDIT BAORD, HYDERABAD

सत्यमेव जयते

दिनांक :
Date : 25.09.2014

नं. PDCA/Hyd/A/c Desk/KMBL/2013-14/1.04/266

सेवा में

प्रबंध निदेशक
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड
कोच्ची।

विषयः कंपनी अधिनियम 1956 की उपधारा 619 (4) के अनुसार कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के 31 मार्च 2014 में समाप्त वर्ष की लेखा पर भारत के नियंत्रणाधिकारी & महालेखाकार की टिप्पणियाँ

1. इसके साथ कंपनी अधिनियम 1956 की उपधारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च 2014 तक समाप्त कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के लेखा के ऊपर भारत के नियंत्रणाधिकारी और महालेखाकार की 'टिप्पणियाँ नही' वाला प्रमाण पत्र अग्रेषित है।

2. कंपनी के शेयरधारियों के सामने वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ टिप्पणियाँ भी रख देने तारीख की और उन्हें बैठक की प्रक्रिया के पूर्ण रूप भी रखने की सूचना दिया जायेगा।

3. भारत के नियंत्रणआधिकारी एवं महालेखकार के लेखा रिपोर्ट और टिप्पणियों के साथ कंपनी के वार्षिक लेखा एवं वार्षिक रिपोर्ट दोनों संसद के समक्ष अग्रेषित करने की तारीख की सूचना दिया जायेगा।

4. समय के अंदर वर्ष 2013 - 14 के वार्षिक प्रतिवेदन की दस कॉपियाँ तैयार करके रख दें।

सभी संलग्नकों के साथ इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दे दें।

संलग्नः ऊपर दिए गए

भवदीय

(अरविन्द राय)
प्रधान निदेशक

महालेखाकार का कार्यालय परिसर, सैफाबद, हैदराबाद-500 004
A.G.'s Office Complex, Saifabad, Hyderabad-500 004
e-mail: mabhyderabad@cag.gov.in

Grams: DIRCOMIT Fax: 040-23231318
Phone: 23233315, 23230415

कंपनी अधिनियम 1956 की उपधारा 619 (4) के अधीन कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के 31 मार्च 2014 में समाप्त वर्ष की लेखा पर भारत के नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

वर्ष 31 मार्च 2014 तक समाप्त कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन आनेवाले ढाँचे को ध्यान में रखते हुए कंपनी के प्रबंधकों के कर्तव्यों के अनुसार हुआ है। कंपनी अधिनियम 1956 की उपधारा 619 (2) के अनुसार भारत के नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखाकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने की जिम्मेदारी है। यह स्वतंत्र लेखा भारत के शासनिक लेखाकार परीक्षक की संस्था के विदग्ध विद्वानों द्वारा तैयार किये गए लेखा के स्तर के आधार पर निर्भर रहता है। उन्हें अपना प्रतिवेदन दिनांक 16 सितंबर 2014 तक देना है।

मैं कंपनी अधिनियम 1956 की उपधारा 619 (3) (बी) के अनुसार 31 मार्च 2014 तक समाप्त कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के वित्तीय विवरण का भारत के नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखाकार के वास्ते एक अतिरिक्त लेखा तैयार किया है। यह अतिरिक्त लेखा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कागज़ों को लिये बिना सांविधिक लेखापरीक्षक, कंपनी अधिकारियों से प्रारंभिक पूछताछ और रिकोर्ड से सिर्फ कुछ चुने हुए लेखा का परीक्षण करके स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया है। मेरी लेखा के मुताबिक मेरी जानकारी में कंपनी अधिनियम 1956 की उपधारा 619 (4) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी देनेलायक कोई विशेष बात नहीं दिखाई पडी।

नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखकार,
भारत सरकार के वास्ते, केलिए

(अरबिंद दास)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्ष। एवं पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड का कार्यालय
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 25 सितंबर 2014